खण्ड-06 सत्र -04 (भाग-01) / अंक-32

वीरवार 09 जून, 2016 / 19 ज्येष्ठ, 1938 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-04 (भाग-01) में अंक 32 से अंक 34 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा प्रिन्टो ग्राफ, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

सत्र–4 भाग (1) वीरवार, 09 जून, 2016/19 ज्येष्ठ, 1938 (शक) अंक–32

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2	शोक संवेदना (श्री जगदीश लाल बत्रा, पूर्व विधायक के निधन पर)	3–4
3	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	4–7
4	विशेष उल्लेख (नियम – 280)	7–27
5	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	28
6	प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	28
7.	चर्चा (बुराड़ी में उ.द. दुकान की बहाली में हुई कथित अनियमितता पर)	28–57
8.	जॉच समिति का गठन	57–64
9.	अल्पकालिक चर्चा	64–113
	(1) मि.न.नि. में तथा कथित भ्रष्टाचार तथा कुप्रशासन पर	

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–4 भाग (1)   वीरवार, 09 जून, 2016 / 19 ज्येष्ठ, 1938 (शक)   अंक–32

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री महेन्द्र गोयल
6. श्री वेद प्रकाश
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. श्री रघुविन्द्र शौकीन
10. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
11. श्री राजेश गुप्ता
12. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
13. श्री सोमदत्त
14. सुश्री अलका लाम्बा
15. श्री आसिम अहमद खान
16. श्री विशेष रवि
17. श्री हजारी लाल चौहान
18. श्री शिव चरण गोयल

19. श्री गिरीश सोनी
20. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)
21. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
22. श्री राजेश ऋषि
23. श्री महेन्द्र यादव
24. श्री नरेश बाल्यान
25. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
26. सुश्री भावना गौड़
27. श्री सुरेन्द्र सिंह
28. श्री विजेन्द्र गर्ग
29. श्री प्रवीण कुमार
30. श्री मदन लाल
31. श्री सोमनाथ भारती
32. श्रीमती प्रमिला टोकस
33. श्री नरेश यादव
34. श्री करतार सिंह तंवर
35. श्री प्रकाश
36. श्री अजय दत्त
37. श्री दिनेश मोहनिया
38. श्री सौरभ भारद्वाज
39. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
40. श्री सही राम
41. श्री नारायण दत्त शर्मा
42. श्री अमानतुल्लाह खान
43. श्री राजू धिंगान
44. श्री मनोज कुमार
45. श्री नितिन त्यागी
46. श्री एस.के. बग्गा
47. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
48. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
49. श्रीमती सरिता सिंह
50. मो. इशराक
51. श्री श्रीदत्त शर्मा
52. चौ. फतेह सिंह
53. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र – 04 वीरवार, 09 जून, 2016 /19 ज्येष्ठ 1938 (शक) अंक 32

सदन अपराह्न 2.05 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

(राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम)

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन स्वागत।

शोक संवेदना

(पूर्व विधायक तथा पूर्व महानगर पार्षद श्री जगदीश लाल बत्रा जी के निधन पर शोक संवेदना।)

माननीय सदस्यगण, आपको जानकर अत्यंत दुःख होगा कि गत 01 मई, 2016 को दिल्ली विधान सभा के पूर्व सदस्य तथा पूर्व महानगर पार्षद श्री जगदीश लाल बत्रा का निधन हो गया। श्री जगदीश लाल बत्रा दिल्ली के विकास के लिए सदैव संघर्षरत रहते थे। वे समाजसेवी थे और धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेते थे। वे कई सामाजिक संगठनों के संरक्षक भी थे। वे वर्ष 1983 में दिल्ली महानगर परिशद के सदस्य निर्वाचित हुए तथा वर्ष 1993 में प्रथम दिल्ली विधान सभा के सदस्य चुने गये।

मैं, अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री जगदीश लाल बत्रा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति–शांति।

अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया जायेगा।

(सदन द्वारा दो मिनट के लिए मौन धारण)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था)

मुझे नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता जी से नियम 59 के अन्तर्गत कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ। मैं इस सम्बन्ध में माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि उनके नोटिस में वर्णित विषय वस्तु इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। एक सेकेण्ड विजेन्द्र जी, मैं अपनी रूलिंग दे रहा हूं।। नहीं, एक सेकेण्ड, मेरी बात सुन लीजिए। मैं अपनी रूलिंग दे दूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बार–बार सरकार मेरे ऊपर ये आरोप लगा रही है!

अध्यक्ष महोदय : मैं रूलिंग दे दूं। अब बीच में टोकना कम कर दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बडा मामला है। एक ईमानदार अफसर का मर्डर हुआ है दिल्ली के अन्दर।

अध्यक्ष महोदय : बताना चाहूंगा कि उनके नोटिस में वर्णित विषय वस्तु इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके लिए सदन का काम – काज रोका

जाए। इसके अतिरिक्त, आज पहले ही एक महत्वपूर्ण विषय पर अल्पकालिक चर्चा होनी है। अतः मैं श्री गुप्ता जी के इस नोटिस को स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है।

अध्यक्ष महोदय : अभी विजेन्द्र मैं उस पर ....

श्री विजेन्द्र गप्ता : अध्यक्ष महोदय, उस पर चर्चा करवाएं। मंत्री जी रिप्लाई करें मेरी क्वैरीज के। क्योंकि हम चाहते हैं कि आमने – सामने बात हो। प्रीमियम बस स्कीम में भारी भ्रष्टाचार हो रहा था और मैने एसीबी में कम्पलेंट की है। मेरे पास तथ्य हैं इसके।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैंने डिसअलाऊ किया है, मैं डिसअलाऊ कर चुका हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इस भ्रष्टाचार के मामले में सरकार पीछे क्यों भाग रही है? मेरे पास तथ्य हैं उसके। मैं उन तथ्यों के आधार पर बात करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष के निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा सकता। मैने उस पर निर्णय दे दिया है, व्यवस्था दे दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो ध्यानाकर्षण का नोटिस प्राप्त हुआ है, मैं इस संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि अविलम्बिनीय लोक महत्व के विषयों के लिए नियम 280 के तहत सूचना देने का प्रावधान है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी है। अतः गुप्ता जी के नोटिस को स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी बैठिए। सोमनाथ जी बैठिए। विजेन्द्र जी प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी मैं रूलिंग दे चुका हूं। आप कल्पनाओं में जी रहे हैं। उस पर मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। मैं रूलिंग दे चुका। आप प्लीज बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, कल्पना में हम नहीं जी रहे हैं, कल्पना में सरकार जी रही है। सरकार छुपा रही है। भ्रष्टाचार को दबा रही है।

अध्यक्ष महोदय : सम्भावनाओं में जी रहे हैं! अभी बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : भ्रष्टाचारियों को बचा रही है और जब सरकार ने मेरे ऊपर आरोप लगाए कि मैंने गलत शिकायत की है और इस लिए मेरा स्टाफ तक विद्ड्रा कर लिया गया। जब आप इस तरह से प्रताडित कर रहे हैं, इस तरह से कष्ट दे रहे है इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहे हैं कि मैंने भ्रष्टाचार का मामला उठाया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी बैठिए।

...(व्यवधान)

(भाजपा के सदस्यों द्वारा विशेष स्वरूप सदन से बहिर्गमन)

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, सुरेन्द्र जी, नितिन त्यागी जी। विजेन्द्र जी, ऐसे नहीं चल पाएगा।

...(व्यवधान)

विशेष उल्लेख (नियम–280)

अध्यक्ष महोदय : इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है। अब सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के मामले उठाए जाएगे। नितिन जी नियम 280 पर। विजेन्द्र जी, देखिए ये एक घंटा सदस्यों... मेरी बात सुन लीजिए। ये एक घंटा सदस्यों के लिए.

श्री नितिन त्यागी : अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि नियम 280 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मी नगर में आज की तारीख में व पिछले एक डेढ़ साल में, जबसे हमारी सरकार बनी है, पिछले कई महीनों में कई बार यह बात उठी है कि ईस्ट दिल्ली का और स्पेशली लक्ष्मी नगर क्षेत्र में कुत्तों के मेनेस के बारे में कि़ कुतों का (आतंक) बहुत ज्यादा बढ गया है। एक–एक गली में कई–कई कुत्ते हैं जो गैंग – सा बनाकर सबको प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, परेशानी यह है कि हम किसको कम्पलेट करें ? कुत्तों से परेशानी की कम्पलेंट आज तक एम.सी.डी. को की जाती थी। पर ई.डी.एम.सी. ने न जाने किस वजह से, जिन एन.जी.ओज के थ्रू इन कुत्तों को स्टरलाइज्ड करवाकर वापिस छोडा जाता था, उनकी पैमेंट नहीं हुई। यह एमसीडी का अपना भ्रष्टाचार

हो सकता है। मिस – एप्रोप्रिएशन हो सकता और मिस – मैनेजमैन्ट ऑफ फण्ड हो सकता है। वो रीजन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि कुत्ते वहां पर रहने से रोज, हर दिन किसी न किसी को कुत्ते के द्वारा काटे जाने की घटना होती है, जिससे की बहुत परेशानी होती है। बहुत डिस–सैटिसफैक्शन पब्लिक के अन्दर है इसको लेकर। ये विडम्बना देखिए सर आप! गर्मी के दिन है। बहुत सूखी गर्मी दिल्ली में पड़ती है और जगह–जगह पर कुत्ते की पोटी हर गली में होती है। आप अगर निकल जाएं किसी गली से और एक गली से दूसरी गली में मुड़े, वहॉ पर मक्खियां बैठी होती हैं और उनके मैडिटेशन पर थोड़ा फर्क पड़ जाता है। वह सीधा आपके मुंह पर बैठ जाती हैं। और सभी के साथ ऐसा होता होगा। ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ ऐसा न होता हो। कम से कम जो काम कर रहे है, उनके साथ तो होता ही है। तो ये किस तरीके की सफाई हम लोग प्रोवाइड कर देगें? किस तरीके की सफाई हम लोग लोगों को प्रोमिस कर सकते हैं जब हम अपना चेहरा तक साफ नहीं रख पाए! हम लोगों को थोडा सा बस डॉग – मेनेस के बारे में बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा। कोई और एल्टरनेटिव निकालना पडेगा। हम लोग जब खुद मानते हैं कि ये एम.सी.डी. वाले निकम्मे हैं या पार्षद निकम्मे हैं। इन्होंने पूरी की पूरी एम.सी.डी. को ध्वस्त कर दिया है। बर्बाद कर दिया है! चोर है! तो इनके थ्रू हम लोग और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सर, दिल्ली सरकार को कोई और तरीका, कोई और ज़रिया निकालना पडेगा। इस कुत्ते के मेनेस से अपनी जनता को जिन लोगों ने बहुत बहुमत के साथ इन लोगों की गुंडागर्दी के खिलाफ हम लोगों को वोट दिये है। तो आपसे सर गुजारिश है इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ कदम उठाया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : कर्नल देवेन्द्र सहरावत जी। अनुपस्थित। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी... श्री बग्गा जी।

श्री एस.के.बग्गा : धन्यवाद महोदय, मै आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे नियम 280 पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, मैं आपका ध्यान बी.एस.ई.एस. यमुना पावर लि0 की और दिलाना चाहता हूं। इस कम्पनी द्वारा जनता को तंग किया जा रहा है। जिन लोगों ने दिल्ली में चार पांच वर्ष पहले मकान और फ्लैट खरीदें हैं , उनको 10–15–16 वर्ष पहले के बिजली के बिल काफी बड़ी–बड़ी रकम के उनके बिजली के बिलों में लगातार वसूली कर रहे हैं। बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। उन मकानों में और दूसरे लोगों के भी मीटर लगे हैं। वे मीटर बिना नो– डयूज के कैसे लगाए गए? दूसरे लोगों के बिजली के बिलों की नए लोगों से वसूली कर रहे हैं। इससे जनता काफी परेशान है।

अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बिजली कम्पनी वालों के खिलाफ कार्रवाई कराएं जिससे कि दिल्ली की जनता को राहत मिले। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र सिहं जी।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 280 में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्र गुजार हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एन.डी.एम.सी. की तरफ ले जाना चाहता हूं। कुछ समय पहले............

अध्यक्ष महोदय : मैंने नाम बोला था आप अनुपस्थित थे। नहीं विजेन्द्र जी मैं अभी लास्ट में ले लूगा। लेकिन मैने नाम बोला था, उस वक्त आप नहीं थे।

श्री सुरेन्द्र सिंह : 16 मई शाम को एक ईमानदार अफसर एम.एल. खान का मर्डर कर दिया। उस मर्डर से सम्बन्धित जो तार जुड़े हैं, वो एन.डी.एम.सी. से जुड़े हैं। एन.डी.एम.सी. से अठारह साल पहले एक रमेश कक्कड नाम के आदमी ने लीज पर एक बिल्डिंग को लिया। वो लीज यूथ होटल के नाम से ली और उसमें होटल चलाना शुरू कर दिया। कोर्ट में 18 साल तक केस चलता रहा! उसमें लगभग 170 हीयरिंग हेयरिंग हुई। उसमें जज साहब ने जो आदेश दिया, उसमें साफ लिखा है कि जो रमेश ककक्ड नाम का आदमी है, ये बड़ा शातिर है और इसने अपने डर्टी हाथों से कोर्ट की प्रक्रिया को भी गंदा किया। ये जो केस है, ये एक लैडमार्क केस है। एक एक्जाम्पल है। इस केस को न ही ऊपर की अदालत में सुना जाए और न ही नीचे की किसी अदालत में दोबारा से सुना जाए और छः महीने के अंदर इसका निपटारा कर दिया जाए। उसके लिए एक एस्टेट आफिसर को रिटेन किया गया। उस एस्टेट आफिसर का नाम एम. एम. खान था। एम.एम. खान को जब 17 तारीख को इस केस का फाइनल फैसला देना था।...

अध्यक्ष महोदय : 17 तारीख! कौन सा महीना ?

श्री सुरेन्द्र सिंह : 17 मई। उससे पहले 16 तारीख की शाम को उनकी हत्या कर दी गई। उससे पहले एम. एम. खान को 3 करोड रूपये की रिश्वत देने की कोशिश की गई। क्योंकि अट्ठारह साल का जो किराया

बना, वह 140 करोड़ रूपये था। ये जो माफिया है, यह माफिया चाह रहा था कि जिस प्रकार 'ली मैरिडियन होटल' का 540 करोड़ रूपये से 150 करोड़ के ऊपर मामला स्टे कर दिया गया, उसी प्रकार स्टे कर दिया जाए। इस कड़ी के बीच में बीजेपी के जाने माने नेता और एन.डी.एम.सी. के उपाध्यक्ष का नाम साथ में जोड़ा। ठीक 17 तारीख से पहले 6 तारीख को एन.डी.एम.सी. के उपाध्यक्ष ने एल. जी. साहब को एक पत्र लिखा। उस पत्र में साफ लिखा कि ये जो अधिकारी है, ये अधिकारी भ्रष्ट है। ये एन.डी.एम.सी. का फेवर न करते हुए होटल मालिक का फेवर कर रहा है। इसकी सीबीआई जांच हो और साथ ही एम. एम. खान को अपने पास बुलाकर उसको बार–बार धमकाया गया। एम. एम. खान ने कई सारे अधिकारियों के साथ भी इस बात को शेयर किया था। व्यक्तिगत तौर पर उसने मेरे साथ भी इस बात को शेयर किया था और अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ भी शेयर किया था। ठीक 6 तारीख को एन.डी.एम.सी. के उपाध्यक्ष, बीजेपी के जाने माने नेता पत्र लिख रहे है एल. जी. साहब को एक ईमानदार आफीसर को भ्रष्ट बताते हुए और उसको बदली करने के लिए वहां से और 10 तारीख को ठीक उसी भाषा मे रमेश कक्कड नाम का व्यक्ति जो कि होटल माफिया था, वो एल.जी. साहब को उसी भाषा में, वाईस चेयरमैन साहब का हवाला देते हुए पत्र लिख रहे हैं। इनका जिन्होंने उसका मर्डर किया दो लाख रूपये में उस का मर्डर किया और 50 हजार रूपये का एडवांस लिया गया। जब कि उसमें लिखा हुआ है। इस कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है कि इसने जो केस चलाया, वह झूठा है। ये एक शातिर आदमी है और उसके फेवर में एन.डी.एम.सी. का उपाध्यक्ष उसको पत्र लिख

रहा है। एम. एम. खान ईमानदार बता रहा है होटल वाले को। जो एन. डी.एम.सी. का जो अधिकारी था, उसकी डयूटी बनती है एन.डी.एम.सी. से वफादारी करने की और लीगल तरीके से उपाध्यक्ष की भी डयूटी बनती है ईमानदारी के साथ एन.डी.एम.सी. का पक्ष लेने की। परन्तु वहां इस पत्र में साफ लिखा है कि जो अधिकारी है, ये एन.डी.एम.सी. का फेवर कर रहा है। होटल मालिकों को फेवर नहीं कर रहा है। उसके बाद 50 हजार रूपये एडवांस देकर उसको मरवा दिया गया। उस अधिकारी को जिन्होंने मारा, उनको पुलिस ने पकड़ लिया। रमेश कक्कड़ को भी पुलिस ने पकड़ लिया परन्तु अभी तक जो दो एन.डी.एम.सी. के उपाध्यक्ष हैं, जाने माने नेता हैं, बीजेपी के लगातार पूर्व विधायक रहे हैं, उनके खिलाफ अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। बार–बार उस परिवार के कहने के बाद भी, बार–बार आवाज उठने के बाद भी पूरा पुलिस डिपार्टमैन्ट मौन है, सेन्टर गवर्नमैन्ट है, इस इश्यू पर वह मौन है।

अध्यक्ष महोदय : कमांडर जी अब कन्क्लूड करिए। कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंह : इस इश्यू के ऊपर आज इस युग में एक ईमानदार आदमी का मर्डर हुआ!

अध्यक्ष महोदयः भई, ये एक गम्भीर विषय है। थोडा ध्यान से एक बार प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंह : एक देश भक्त आदमी को इस प्रकार सरे आम मरवा दिया गया! जिसको चार करोड रूपये रिश्वत न लेने की सजा मिली

है। इसकी आवाज उठाई जाए विधान में इसकी चर्चा की जाए और वह आदमी... मैं उसके घर व्यक्तिगत तौर पर गया। उसकी तीन बेटियां हैं। तीनो बेटियों को लोन लेकर वो पढा रहा था। इससे बड़ा एग्जाम्पल इससे बड़ा ईमानदारी का परिचय कोई भी नहीं हो सकता ! मैं चाहता हूं उस आदमी को उस परिवार को इंसाफ मिले और विधान सभा में इसकी चर्चा की जाए। पुलिस को भी डायरेक्शन दी जाएं। यहां पर कि कर्ण सिंह तंवर जो वाईस चेयरमेन एन.डी.एम.सी. हैं, उनसे भी पूछताछ की जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अमानतुल्लाह जी, ये 280 का विषय है। इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री अमानतुल्लाह खान : उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अध्यक्ष महोदय, अब तक उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह : इसमें पेपर अखबार के माध्यम से भी और में भी लिखा है। इससे पहले पेपर में आया इस होटल के बारे में कि ये जो रमेश कक्कड़ नाम का आदमी है, इसके खिलाफ तीन शहरों में चोरी के, चीटिंग के मुकद्दमे चल रहे हैं और दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में बाउंसिंग के मामले में मुकद्दमा चल रहा है। ऐसे आदमी के फेवर में एक ऐसे पद पर बैठा हुआ अधिकारी एक नेता कृ..

अध्यक्ष महोदय : कमांडर जी अब कन्क्लूड करें। प्लीज हो गया विषय पूरा हो गया। बता दिया आपने। कुछ और उसमें एड करना हो तो बताइए ?

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा की जाए और जो ईमानदारी के बल पर जो आम आदमी पार्टी आई है तो ईमानदार आदमी का कत्ल हुआ है, ईमानदारी का कत्ल हुआ है ! हिन्दुस्तान में एक ऐसे हीरे को खोया है उसके इंसाफ के लिए आवाज उठाई जाए। विधान सभा में इस पर चर्चा भी की जाए और जहां तक इसके बारे में आप लिख सकते हैं, आप लिखिए। पुलिस को भी गाइड लाइन्स दीजिए और करण सिंह तंवर से भी पूछा जाए और जिन्होंने मर्डर किया है और होटल मालिक में साथ में उसका क्या रिश्ता था? क्या लेना था? धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री दत्त शर्मा जी।

श्री श्रीदत्त शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 280 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया।

महोदय मैं आपका ध्यान घोण्डा. विधानसभा 66 के अन्तर्गत यमुना पुश्ता तथा मर्जिनल बांध तथा यमुना के बीच में गढ़ी मेढू सिटी फॉरेस्ट में हजारों एकड़ पड़ी खाली भूमि के विषय में बताना चाहता हूं। यहां काफी संख्या में पैड़–पौधे भी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वन में कुछ पेड़ फलों के भी लगाए जाएं ताकि वहां पर कुछ पक्षी भी रह सकें तथा उनके पानी पीने के लिए एक झील है जिसको ठीक प्रकार से विकसित करके पानी रहना चाहिए।

महोदय, यहां हजारों की संख्या में बच्चे, जवान, बड़े– बूढ़े सुबह सैर के लिए भी आते है। वे खेल कूद जैसी गतिविधियों के लिए भी आते हैं

लेकिन बच्चों के खेलने के लिए वहां जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। क्योंकि खाली पड़ी उपरोक्त भूमि खेत के मैदान के रूप में विकसित नहीं है जब कि यहां पर इस तरह की सुविधाएं बच्चों को दी जा सकती हैं।

महोदय, घोण्डा विधान सभा क्षेत्र के आस–पास की विधान सभा क्षेत्रों में भी बच्चों के खेलने हेतु कोई क्रीड़ा स्थल नहीं है जिससे कि बच्चों का सही विकास हो सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया यमुना खादर मार्जिनल बांध के साथ खाली पड़ी जमीन पर एक स्थान निश्चित कर इसकी सीमेंट के पोल व तारों के द्वारा घेरा बंदी करके बच्चों के लिए एक खेलने का स्थान बना दिया जाए व अच्छे ढंग से घास, पेड़–पौधे लगा कर पर्यावरण को भी बढ़ावा दिया जाए जिससे बच्चों को अपने शारीरिक विकास के लिए एक अच्छा वातावरण मिल सके।

महोदय, मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के विकास से भी एन.जी.टी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि यह जमीन ओ. जोन में आती है। यहॉं पक्की नहीं बन सकती। इसमें इसी तरह से ही तार की बाड़ लगा कर कुछ खेलने का इंतजाम कर सकते हैं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ : शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। गत 27 तारीख को द्वारका सैक्टर 6 की मार्किट में वैंडर्स को दिल्ली पुलिस और एम.सी.डी. ने 15.08.2016 को जबरन तरीके से वहां से हटा दिया। दिल्ली पुलिस और

एम.सी.डी. इस गैर कानूनी कार्य की शिकायत वैंडर्स कमेटी ने मिलकर के भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से की वैंडर्स ने सब ने मिलकर के शिकायत की। फिर भी इन गरीबों की कोई सुध नहीं ली गई। आखिरकार दिनांक 23.05.2016 को हाई कोर्ट में केस किया गया और हाई कोर्ट की डबल बैंच ने वैंडर्स एसोसिएशन को पुनः काम करने की अनुमति प्रदान की तथा दिल्ली पुलिस, डी.डी.ए और एस.डी.एम.सी. को हिदायत दी गयी कि इन वैंडर्स को काम से न हटाया जाए तथा उन्हें सुचारू रूप से काम करने दिया जाए। इस आदेश को आए लगभग दो हफ्तों का समय को चुका है और दिल्ली पुलिस और एम. सी.डी. अभी तक इस काम पर कोई ध्यान नहीं दे रही जिससे गरीब वर्ग समस्याओं से और भी ज्यादा घिरता जा रहा है तथा इस विषय पर वैंडर्स ने डी.सी.पी., मुख्य अभियंता, द्वारका, डी.डी.ए., नजफगढ़ जोन से भी सम्पर्क किया लेकिन किसी से भी कोई साकारात्मक तौर पर कोई सहयोग नहीं मिल पाया। साथ ही कुछ वैंडर्स अपने परिवार के भरण–पोषण के लिए काम कर रही हैं। दिल्ली पुलिस सख्त रूप उनके साथ में अपना रही है और उन्हें वहां से हटा रही है ये पटरी वाले दिल्ली सरकार को धन्यवाद देते हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने इन पटरी वालों के संदर्भ में एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसकी वजह से इनकी जीत हुई और मेरा मानना है कि ये एक समाज के गरीब तबके की जीत है। इसके लिए मैं गरीब तबके को बधाई देती हूं तथा अब भी बीजेपी के इशारे पर काम करने वाली दिल्ली पुलिस, डी.डी.ए., एस.डी.एम.सी. हाई कोर्ट के आदेशों को मानने से इंकार

कर रही है। लोकतंत्र में बड़ी–बड़ी बाते करने वालों को यह सोच लेना चाहिए कि लोकतंत्र में गरीबों को न्याय और सम्मान दोनों चाहिए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा लूट, भ्रष्टाचार, असंवैधानिक कार्यों का पर्दाफाश करने पर प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और उसे पंगु बनाया जा रहा है। जिस दिन विपक्ष के नेता ने प्रीमियम बस घोटाले को उजागर किया, ठीक उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने बदले की भावना से प्रेरित होकर उनके कार्यालयों में वर्षों से अनेक पदों पर काम कर रहे दो दास कर्मी, 5 स्टेनों तथा एक चपरासी का तुरंत प्रभाव से एक ही दिन में तबादला कर उनके कार्यालय से उनको पंगु बना दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, उनके ड्राइवर तक को आदेश दिए गए कि विपक्ष के नेता को सड़क पर ही छोड़कर सचिवालय में रिपोर्ट करें। वे नरेला गए हुए थे, तब उनके ड्राइवर को अचानक आदेश दिए गए कि वे तुरंत उन्हें छोड़कर सचिवालय आ जाएं। उन्हें विपक्ष के नेता होने के नाते मंत्री का दर्जा प्राप्त है। प्रत्येक मंत्री के यहां बीस से तीस स्टाफ डाइवर्टिड केपेसिटी पर काम कर रहा है। उसी प्रकार विपक्ष के नेता के पास 8–10 स्टाफ डाइवर्टिड केपेसिटी पर अनेक वर्षों से पदों पर कायर्रत थे। परन्तु मुख्यमंत्री जी को यह हजम नहीं हुआ। जबकि उनके स्वयं के कार्यालय में बड़ी संख्या में स्टाफ डाइवर्टिड केपेसिटी पर काम कर रहा है। श्री गुप्ता जी ने नार्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में जाकर सरकार के रवैये के खिलाफ एक एफ.आई.

आर. भी दर्ज कराई। उन्होंने इस विषय पर शिकायत करी कि मुख्यमंत्री जी द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें लोक सेवक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करने से रोका जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय अथवा सचिवालय में उन्हें स्टाफ के बारे में सूचित तक नहीं किया गया। विपक्ष के नेता के पास आम आदमी जो 20 साल से काम कर रहे हों, उन्हें तुरंत हटा दिया जाए। यह एक बदले की भावना से प्रेरित है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जगदीश जी पूरा हो गया। सरिता जी प्लीज,

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बातचीत नहीं प्लीज।

श्री जगदीश प्रधानः इसके पीछे मुख्यमंत्री की दुर्भावना और बदले की भावना से काम करना रहा है। 2 जून दोपहर ढ़ाई बजे उनके स्टाफ को टेलिफोन पर आदेश दिए गए कि वे दिल्ली सचिवालय में स्थित सर्विसेज डिपार्टमेंट को तुरंत रिपोर्ट करें। यह भी धमकी दी गई कि निर्देश मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त हुए हैं और इनका अनुपालन तुरंत किया जाना चाहिए जोकि उस समय विपक्ष के नेता कार्यालय में नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : अब तो हो गया, जितना लिख के दिया था, उससे भी ज्यादा हो गया।

श्री जगदीश प्रधानः के आदेश नहीं दिए गए। स्टाफ में उन्हें अनुमति देने से सचिवालय को रिपोर्ट करने पर उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। परन्तु उन्हें संबंधित अधिकारियों ने धमकी दी कि यदि उन्होंने सेवाएं विभाग को रिपोर्ट नहीं किया तो उन्हें आज तुरन्त निलंबित कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। इस तरह की जो भावना है, यह नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के नेता के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। धन्यवाद जगदीश जी, धन्यवाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश पति त्रिपाठी जी.... भाई विजेन्द्र जी अभी आप बैठिए,... मैंने अभी इजाजत नहीं दी है। विजेन्द्र जी, भाई विजेन्द्र जी ये कौन सा तरीका है? जगदीश जी बैठिए प्लीज। अखिलेश पति त्रिपाठी जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश पति त्रिपाठी जी। ....त्रिपाठी जी बोल रहे हैं। एक सेकेण्ड प्लीज।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एम.सी.डी., बिल्डिंग व वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा लगातार निगम पार्षद के साथ मिलकर के अवैध निर्माण व अवैध एन्क्रोचमेंट कराया जा रहा है। इसके संदर्भ में एम.सी.डी. कमिश्नर और डी.सी. को भी कई

बार चिट्ठी लिखी जा चुकी है जिसको मैं सदन पटल पर रखूंगा। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके साथ–साथ पीछे पी.डब्ल्यू.डी. ने लिखा भी था कि हमारे एम.सी.डी. हमारे रोडों पर अवैध रूप से एडवाटईजिंग के जो बोर्ड है, वो लगाए जा रहे हैं। साथ–साथ वहां पर खोखे एलॉट किए जा रहे हैं इसकी वजह से बहुत ही जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि एम.सी.डी. कमिश्नर को नोटिस देकर पूछा जाए कि जब जन–प्रतिनिधि इस पर समाधान चाहते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते और ऐसे निर्माण और अवैध एन्क्रोचमेंट पर क्या कार्रवाई की जाएगी और जो कार्य जो अवैध निर्माण और अवैध एन्क्रोचमेंट किए गए है, उसमें जो अधिकारी शामिल है, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी?

अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मेरा निवेदन है कि उन पर एम.सी.डी. के कमीश्नर को नोटिस दे कर, बुला करके सख्त कारवाई कराने का कृपा करें। बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। संजीव झा जी।

श्री संजीव झा : बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, अभी दिल्ली में भीषण गर्मी है। हम सब लोग अपनी अनाधिक्त कालोनी में रहते हैं। हमारी पूरी कॉस्टिट्एन्सी अनोथोराइज कालोनी

से बसा हुआ है। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले वहां ट्रांसफार्मर लगा लेकिन कालोनी काफी बढ़ गई हैं। एन.डी.पी.एल. उनको बिजली नहीं देती। उन्होंने दो तरह से एरिया आईडेन्टीफाई कर रखा है – एक इलेक्ट्रीफाईड, दूसरा अनइलेक्ट्रीफाईड। अब क्या हुआ कि वो कालोनी आगे बढ़ गई। उसको कहते हैं कि ये एरिया अनइलेक्ट्रीफाईड है, हम इसमें बिजली नहीं देंगे। ऐसे कमोवेश 55 सौ कनेक्शन हमारे यहां पेंडिंग हैं जिनको कनेक्शन मिल नहीं पा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अगर इसमें कोई पॉलिसी बनाना है तो पॉलिसी बनाएं और वो जो लोग हैं, जिन तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है, उनको बिजली दी जाए। हमारे पास लोगों का तांता लगा रहता है। हम उसको खुश नहीं कर पा रहे हैं। तो बस मेरा यही निवेदन है कि इसके लिए कोई ऐसा ठोस कदम उठाएं ताकि जिन तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है उन तक बिजली पहुंचे, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, 280 के माध्यम से मैं दिल्ली के अन्दर एक अति महत्वकांक्षी योजना जिसके अन्तर्गत लगभग 60 लाख मध्यवर्गीय व गरीब परिवारों को घर मिलेंगे, उसको दिल्ली की सरकार ने एक बदनीयत से ठण्डे बस्ते में डालने की योजना बनाई है क्योंकि यह योजना केन्द्र सरकार ही है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2022 तक दिल्ली के हर गरीब को घर मिले, सबको छत मिले और इसलिए इस योजना को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बहुत गति से इस पर काम

किया ...(व्यवधान) और गति से काम करने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकारण ने उसका नोटिफिकेशन किया। उसके तमाम दस्तावेज पूरे हुए। मात्र तीन फाइलें जिन पर दिल्ली सरकार को मात्र दो फाइलों पर तो हस्ताक्षर ही करने हैं क्योंकि दिल्ली के 89 ग्रामीण गांवों को शहरीकृत करने का अधिकार दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति को है और 89 गांव दक्षिणी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में आते हैं। इसलिए स्थायी समिति द्वारा इस पर प्रस्ताव पारित करके डायरेक्टरेट एक सेकेन्ड, एक सेकेन्ड डायरेक्टरेट ऑफ सिविक बॉडीज को उसका नोटिफिकेशन निकालना है। उनका अधिकार सिर्फ इतना है कि वो जो नगर निगम ने पारित किया है, उसका नोटिफिकेशन निकालना। लेकिन अफसोस की बात है कि डायरेक्टरेट ऑफ सिविक बॉडीज, लोकल बॉडीज द्वारा उसका नोटिफिकेशन नहीं निकाला जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि अगर ये ग्रामीण गांव शहरीकृत घोषित हो गए तो यह योजना आगे बढ़ जाएगी तो सरकार इसको रोकना चाहती है।

दूसरा, दिल्ली सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम 1954 कि धारा 12 के अन्तर्गत 95 गांवों को डेवलपमेंट एरिया घोषित करना है। यह भी चूंकि डी.डी.ए. ने इस पर योजना बना ली है, सरकार को भेज दी है, नोटिफिकेशन कर दिया है लेकिन जब तक सरकार उसको रूल 12 में डेवलपमेंट एरिया घोषित नहीं करेगी, तब तक उस पर काम आगे नहीं हो सकता है लेकिन न ही धारा 12 के अन्तर्गत 95 गांवों को डेवलपमेंट एरिया घोषित किया जा रहा है और तीसरा जो आधार नक्शें हैं, बेस मेप है वो सिर्फ रेवेन्यू विभाग को उनको प्रमाणिकता देनी है कि ये जो बेस

मेप है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड से उसको क्रॉस चेक कर लिया गया है। मुझे लगता है कि तीनों साधारण मामले हैं लेकिन लगभग सवा साल से ये सरकार इस पर कुण्डली मार कर बैठी है। दो दर्जन चिटिठयां वाईस चेयरमैन डीडीए ने और अधिकारियों ने पिछले वाईस चेयरमेन डीडीए ने भी और वर्तमान वाइस चेयरमैन डीडीए ने भी सरकार को लिखी हैं, चीफ सेक्रेटरी को लिखी है लेकिन मंत्री जी और सरकार एक भी चिट्ठी का जवाब तक नहीं दे रही है। हमारा यह कहना है कि गलतफहमी में है ये सरकार कि वे दिल्ली के गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के जिनकी वो जमीन है, वो किसान जिनको जमीन की आधी कीमत साल में 50 हजार रुपये भी उसको आमदनी नहीं होती है, उस जमीन का 50 करोड़ रुपये मिल जाएगा। इसलिए आप नहीं चाहते कि दिल्ली के किसान के पास पैसा आए या उसकी स्थिति में सुधार हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि और मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को कि अगर सरकार ने अपनी नीयत नहीं बदली तो इस पर दिल्ली में किसानों का एक बड़ा आंदोलन होगा किसान लामबंद होने लगे हैं। किसान इसे पूरे मामले में दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे क्योंकि पूरे मामले में सरकार ने जो कोताही की है, उसको बख्शा भी नही जा सकता। मैं चाहूंगा मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर उपलब्ध है,

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नितिन जी, एक सेकेण्ड बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः अध्यक्ष महोदय, विजेन्द्र गुप्ता जी ने दिल्ली के प्रोपर्टी डीलरों से इस कार्य का कितना पैसा लिया ? हमें खबर है कि श्री विजेन्द्र गुप्ता आज ये सवाल उठाएंगे, वो प्रोपर्टी डीलरों से मिले हुए हैं और बात ये किसान की कर रहे हैं। इनकी केन्द्र में सरकार होते हुए हजारों किसान फांसी देकर के तुगा करके ...(.व्यवधान) ये किसान की बात नहीं कर रहे हैं! ये प्रोपर्टी डीलरों की बात कर रहे हैं!...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता, मैं चाहता हूं मंत्री जी इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें और वे कहें मैं गलत कह रहा हूं, मेरी बात ठीक नहीं है, हमारी ये योजना है, हम यह चाहते हैं।......

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, अब आपका विषय पूरा हो गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, जितना आपने लिखकर दिया था, उससे दुगुना बोल चुके हैं। विजेन्द्र जी, अब आप बैठिए प्लीज। जितना आपने लिखकर दिया था, उससे दुगुना बोल चुके हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, वे मुझे बीच में टोकते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः आपने पूरा पढ़ लिया न? आपने जितना लिखकर दिया था....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री अनिल वाजपेयी जी।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं, मंत्री जी गलत सिद्ध कर दें, खड़े हों और जवाब दें कि मेरे जितने आरोप है... मैं तो चाहता हूं, मंत्री जी लैण्ड पुलिंग पर रिप्लाय करें। लेंड पुलिंग पर मंत्री जी रिप्लाय करें। हम यह चाहते हैं कि लेंड पुलिंग पर मंत्री जी रिप्लाय करें।

...(व्यवधान)

विजेन्द्र गुप्ता : क्यों रोका जा रहा है फाइलों को? क्यों नहीं इसको क्लीरियंस दी जा रही? क्या कारण है.........

अध्यक्ष महोदयः बैठिए विजेन्द्र जी। ये आप समय बर्बाद कर रहे है 280 का, बैठिए प्लीज बैठिए।

श्री अनिल वाजपेयी जी।

अध्यक्ष महोदयः बैठिए यादव जी। बैठिए प्लीज। विजेन्द्र जी, जितना आपने लिखकर दिया था, उससे दोगुणा बोल चुके। विजेन्द्र जी, आप बैठिए प्लीज। श्री अनिल वाजपेयी जी। विजेन्द्र जी, समय बर्बाद हो रहा है 280 का। बैठिए प्लीज बैठिए। शांत प्लीज।

श्री अनिल वाजपेयीः अध्यक्ष महोदय, पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 280 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ई.

डी.एम.सी. के घोटाले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ई. डी.एम.सी. में आज से कई वर्ष पूर्व एक निजी कंपनी को कर्मचारियों का हाजिरी लगाने के लिए बायोमीट्रिक मशीन का ठेका दिया गया था। आज कम से कम 6–7–8 वर्ष हो गए हैं। जब से एम.सी.डी. पहले थी उसके बाद ई.डी.एम.सी. का विभाजन हो गया ई.डी.एम.सी. का। आज तक वो सारी बायोमैट्रिक मशीन वहां पर खराब पड़ी है और जितने निजी कर्मचारी हैं, मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूं कि मेरी विधानसभा में 1273 सफाई कर्मचारी हैं और मै अभी कमिश्नर साहब से मिला था। मैंने उनसे कहा कि कृपया मुझे बताइए कितने कर्मचारी आते हैं और बायोमैट्रिक को ठीक करने के लिए जिस निजी कंपनी को ठेका दिया गया आज तक ना ही वो कंपनी चली और न ही बायोमैट्रिक मशीन वहां पर चली। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है सर! इसकी जांच कराई जाए और जो भी ई.डी.एम.सी. के इसमें लिप्त अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये मैं ई.डी.एम.सी. की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूं कि ये पूरी दिल्ली का मामला है। लेकिन ई.डी.एम.सी. में इसका विरोध पहले भी हुआ था आर.डब्ल्यू.एज ने भी इसका विरोध किया था। लेकिन आज तक ई.डी.एम.सी. के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और जो भी भाजपा के वहां पर जो शासित लोग बैठे हुए हैं, कई बार मेयर से, स्टेंडिंग कमेटी के लोगों से कई बार वहां मुलाकात की गई, इलाके के लोगों ने मुलाकात की। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करायी जाए और उन पर सख्त से सख्त से कार्रवाई की जाए। यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष महोदयः सुश्री अलका लांबा जी। बहुत संक्षेप में रखिएगा।

सुश्री अलका लांबाः अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ अपनी चांदनी चौक विधानसभा में कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां पर एक ही बार पानी आता है। मेरा निवेदन यह है कि पानी की बिल्कुल कमी नहीं है। भरपूर पानी मिल रहा है और मेरा पूरा इलाका दिल्ली जल बोर्ड से बहुत खुश है लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें दो की जगह एक ही बार पानी आता है। मेरा निवेदन यह है कि पानी की कमी नहीं है पर गर्मियों को देखते हुए आप उन इलाकों में भी अगर प्रयास कर सकें जिसमें तिलक बाजार, चांदनी चौक, नई बस्ती चांदनी चौक, फतेहपुरी मस्जिद ये तीन इलाके ऐसे हैं जहां पर एक ही बार पानी आता है मेरा निवेदन है कि गर्मी को देखते हुए और त्यौहार को देखते हुए अब अगर आप इन इलाकों में सुबह और शाम को भी पानी दे सकें तो आपकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः अब माननीय मंत्री श्री सत्येन्द्र जैन जी।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर मसला है और सदन को जानना बहुत जरूरी है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार . . .

अध्यक्ष महोदयः अभी मंत्री जी को दो मिनट रूकिए। आपका विषय मैं देखता हूं। माननीय मंत्री जी को सदन पटल पर अपनी रिपोर्ट एक बार रखने दीजिए।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

श्री सतेन्द्र जैन (स्वास्थ्य एवं उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड वर्ष 2013—14 व 2014—15 हेतु वार्षिक प्रतिवेदनों की (अंग्रेजी) व हिन्दी प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।[1]

प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

अध्यक्ष महोदयः अब नियम समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण सुश्री भावना गौड, श्री सोमनाथ भारती।

सुश्री भावना गौडः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं।[2]

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, ये मसला है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है और किसके संरक्षण में हो रहा है ये बात मैं अपनी रखना चाहता हूं और सदन को बताना चाहता हूं मुझे दो मिनट का समय दें।

अध्यक्ष महोदय, जो मामला मैं आपके सामने रख रहा हूं इससे मैं बहुत आहत हूं जो मामला मेरे सामने आया जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नजीब जंग जी ने अपने पद का दुरूपयोग करके भ्रष्ट तरीके से एक ऐसे राशन वाले को फायदा पहुंचाया है जो गरीब लोगों को राशन नहीं देता था। गरीबों का राशन चोरी करता था और खाद्य विभाग ने जब उसके खातों की जांच की तो उसमें कई सारी गड़बड़ियां पायी गई। अध्यक्ष महोदय, बुराड़ी के सन्त नगर इलाके में एक राशन की दुकान है, जिसका नाम है मैसर्स

---

1. पुस्तकालय में सदर्भ सं. आर, 15556 पर उपलब्ध है।
2. पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर 15557 पर उपलब्ध है।

जनता प्रोविजन स्टोर इस इलाके की जनता इस राशन वाले से बहुत परेशान थी। कई सारी महिलाओं का हुजुम मेरे पास आता था। वे आकर बताती थीं कि किस तरह से वो बदमाशी कर रहा है और राशन की चोरी कर रहा है, कई–कई महीने राशन नहीं दे रहा है। अगर राशन दे रहा है तो कम दे रहा है, गन्दा राशन दे रहा है, महिलाओं से ठीक तरह से बात नहीं कर रहा है और गालियां दे रहा है। जनता उससे बहुत दुखी थी। दिल्ली सरकार के खाद्य विभाग ने आज से लगभग एक वर्ष पहले 24 अप्रैल, 2015 को रेड मारी थी, रेड में कई सारी गड़बड़ियां मिली थी। जब रेड किया गया तो ये पाया गया कि तीनों बिक्री रजिस्टरों में भारी गड़बड़ियां है, कैश मीमो नदारद है, जो रिलीज आर्डर होता है, वो नहीं है। स्टाक में 49.63 क्विंटल गेहूं 10.92 क्विंटल चावल कम पाया गया। तत्कालीन सहायक आयुक्त श्री डी.एन.मीणा ने मैसर्स जनता प्रोविजन स्टोर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। दुकान वाला अपील में गया वहां स्पेशल कमिश्नर श्री घन्करोक्ता जी के पासे अपील की गई। स्पेशल कमिश्नर ने भी खाद्य विभाग की जांच को सही पाया और उसके जो लाइसेंस कैंसिल हुए थे, उसको सही ठहराया। राशन वाला दौड़े–दौड़े पहुंच गया दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नजीब जंग जी के पास और नजीब जंग जी ने अपने पद का दुरूपयोग करके भ्रष्ट तरीके से लाइसेंस बहाल किया जब कि उपराज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है ऐसी कोई कानूनी पावर नहीं है जो उस दुकान को अपील को सुने और उसको रिस्टोर करे। जंग साहब ने उसकी दुकान बहाल करने का आदेश पारित किया है उस आदेश में उन्होंने लिखा है कि ये आदेश 1981 के दिल्ली स्पेसिफाइड फूड आर्टिकल रेगुलेशन एण्ड

डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल 1981 के तहत पास किया है। मजे की बात तो यह है अध्यक्ष महोदय कि ये 1981 की बात कर रहे हैं। जबकि ये 1981 का आर्डर लागू ही नहीं है। 15 साल पहले 2001 में केन्द्र सरकार ने पीडीएस कंट्रोल एक्ट 2001 पास करके दिल्ली के इस 1981 के आर्डर को खत्म कर दिया था। 2015 में केन्द्र सरकार ने एक और पीडीएस कंट्रोल एक्ट, 2015 पारित किया जो पूरे देश में लागू है। 1981 का कानून जिसका इस्तेमाल जंग साहब ने किया है, वह केन्द्र सरकार 15 साल पहले खत्म हो चुकी थी। जंग साहब ने अपने पद का दुरूपयोग किया, भ्रष्ट तरीके से एक राशन वाले को फायदा पहुंचाया है और इसीलिए अध्यक्ष महोदय जंग साहब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 31(डी) के तहत दोषी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं जानता कि उनको कानून की जानकारी नहीं है। वे एक आई.ए.एस. अधिकारी रहे हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल है उनके पास कई सारे सीनियर कानून–विद हैं, वकील हैं जो सलाह देते होंगे। मैं कतई नहीं मानता कि उनको 1981 का आर्डर अब खत्म हो चुका है, ये उनको पता नहीं होगा। उल्टा मुझे विश्वास है कि जंग साहब ने राशन वाले को फायदा पहुंचाने के लिए उनके कुछ अफसरों, राशन वाले और कुछ कानून के विशेषज्ञों के साथ मिलकर के एक साजिश रची है और एक समाप्त हुए कानून के तहत उसकी दुकान बहाल कर दी है। जंग साहब को ये उम्मीद थी कि पता नहीं चलेगा हमें। इसीलिए मैं फिर से कहता हूॅ कि अध्यक्ष महोदय ये आईपीसी की धारा 420, 409 व 120 के तहत दोषी हैं। उस बदमाश राशन वाले की दुकान बहाल करने में उन्होंने जो

आदेश पास किया है, उसको एक बार पढ़कर देखेंगे तो आश्चर्य होगा!उस पूरे आदेश में उनकी भ्रष्ट नीयत साफ दिख रही है। खाद्य विभाग ने अपनी जांच में जो गड़बड़ियां पायी थी, जंग साहब ने उस पूरी जांच का कहीं जिक्र तक नहीं किया है। उन्होंने गरीब राशन उपभोक्ताओं को किसी को नहीं बुलाया अगर ईमानदारी से कुछ सुनना चाहते थे तो पहले उस उपभोक्ता को बुलाते एक मिनट एक मिनट........

अध्यक्ष महोदयः कोई असंसदीय शब्द नहीं आया। कौन–सा शब्द आया है? मुझे बताइए। नहीं भ्रष्ट शब्द देखिए, ये असंसदीय नहीं है। एक सेकेण्ड प्लीज। जगदीश जी भ्रष्ट कहना कोई असंसदीय शब्द नहीं है। जिस ढंग से एक दुकान को रद्द किया गया है। चलिए झा जी, आप बोलिए। बैठिए–बैठिए प्लीज। बैठिए 2 मिनट बैठिए। मदन लाल जी, बैठिए प्लीज।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, न तो उन्होंने किसी उपभोक्ता को पूछा। अधिकारियों ने जो फाइल तैयार की थी, न उसको एक बार देखा न उन्होंने जिक्र किया। बस उस राशन की दुकान को बहाल कर दिया गया। मजे की बात यह है कि राशन वाला बदमाश है फिर भी जंग साहब ने दुकान की बहाली की। जिन अफसरों ने ईमानदारी से जांच की थी, उसके खिलाफ इन्होंने एक आर्डर पास किया। उनके खिलाफ इन्होंने उस पर सजा के लिए आदेश दिया उस पर कार्रवाई करने के आदेश दे डाले। यहां तक आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने मेरे खिलाफ सी.पी. को ये लिखा कि विधायक के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होना चाहिए। इससे तगड़ी हो क्या सकती है? अरे कम से कम जस्टिस तो होना चाहिए अगर

आप उपभोक्ता को सुनते और अधिकारी को सुनते आप मुझे बुलाते आपने न जस्टिस का गला घोंटा है आपने। अध्यक्ष महोदय, अब वो राशन वाला ताल ठोककर कह रहा है कि हमने 12 लाख रूपये देकर के राशन की दुकान रिस्टोर करायी है। ये बेहद संगीन मामला है। अध्यक्ष महोदय इससे भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ रहा है। इससे भ्रष्टाचारी खुलेआम कह रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये एलजी साहब के संरक्षण में पूरी दिल्ली में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की जनता हमसे बहुत उम्मीद रख रही है और ये सदन एक उदाहरण स्थापित करे कि कोई भी आदमी हो अगर वो भ्रष्टाचार करेगा, ये सदन उसको माफ नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सदन आज इस पर चर्चा कर और सदन इस निर्णय पर पहुंचें कि अगर कोई भी आदमी किसी भी पद पर क्यों न हो अगर वो भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचारी होगा, ये सदन उसको माफ नहीं करेगा। आप सदन के मुखिया हैं। आपको इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय मुझे इतना ही कहना था और यही निवेदन है कि सदन में इस बात पर चर्चा जरूर हो। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः झा जी बैठिए प्लीज। बैठिए सोमनाथ जी बैठिए प्लीज। राखी जी, जगदीप जी बैठिए, बैठिए। मदन लाल जी। बाकी बैठिए प्लीज। हां, अभी मैं दो–तीन को बोलने का मौका दे रहा हूं। बैठिए सोमनाथ जी।

श्री मदन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत अहम मसले पर यहां एल.जी. के आफिस के खिलाफ एक सीधी अंगुली

उठ रही है 12 लाख रूपये के एक्सचेंज की। वहां वो दुकानदार जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है, वो बड़ी तड़ी से कहता है कि इस लाइसेंस को रिवॉक कराने के लिए मैंने 12 लाख रूपये खर्च किए हैं। तब ये कैसा मामला है जो न केवल सदन को बल्कि पूरी दिल्ली को खासकर उन सभी लोगों को जो इससे संबंधित हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों जिनके खिलाफ एल.जी. ने न केवल आर्डर किया है, बल्कि चीफ सेक्रेटरी को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं कि वे इसकी रिपोर्ट उनके दफ्तर में फाइल करेंगे। ये कैसा दबाव है अफसरों के खिलाफ कि वो उनको ये बताते कि न सिर्फ एक्शन लेना है बल्कि एक्शन को मेरे आफिस में फाइल भी करना है जो उन अफसरों पर दबाव है। उसके साथ–साथ माननीय विधायक के खिलाफ जो उन्होंने आदेश पारित किया है, उसमें भी वो यही कहते हैं कि इस आदेश पर जो कार्रवाई हो, वो मेरे आफिस को दो हफ्ते के भीतर इन्फॉरमेशन दें। ये दबाव है कमिश्नर का। इससे साफ जाहिर है कि इस आर्डर को पास करते हुए उनकी मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको सिलसिलेवार इस सारे एपिसोड्स से संबंधित जो जानकारी है, उससे अवगत कराना चाहता हूं जिससे पता चल सके कि एल.जी. का आफिस भ्रष्टतम तरीके के साधन अपना रहा है और कुछ लोगों को खास फायदा पहुंचा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शॉप जनता प्रोविजन स्टोर जो बुराई है जो अलॉट हुई थी इस पर उस समय का जो कानून था इस पर दिल्ली स्पेसिफाइड आर्टिकल रेगुलेशन आफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1981 के अनुसार

एलाट हुई। उस समय 1981 में प्रोविजन था टेबिनेशन के लिए वहां पर डिप्टी कमिश्नर को पावर थी जिसकी अपील पहले असिस्टेंट कमिश्नर को थी, फिर डिप्टी कमिश्नर फिर कमिश्नर को थी और उसके क्लॉज (6) सबक्लॉज (8) में प्रोविजन था – दी एडमिनिस्ट्रेटर जो 1981 का कानून है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर का

मतलब था एल.जी.।

"The Administrator may call for and examine suo moto the record ofAny proceedings before the Financial Commissioner or Commissioner or any other Officer subordinate to him and to pass thereon such order as he may deem fit."

इसका मतलब था कि एल.जी. को न तो किसी से पूछना था, न कोई ज्ञान वहां लेना था, वो चाहे तो सू–मोटो एक्शन लेते और सू–मोटो उसे सस्पेंडेड या जो टर्मिनेटेड लाइसेंस था, उसको रिवोक कर देते। पर यह कानून 2001 में बदला और उसके बाद 2015 में बिल्कुल बदल गया, जहाँ एल.जी. के पास यह पावर खत्म हो गई। परंतु इस मामले में, क्योंकि यह मामला भ्रष्टता की सर्वोच्च सीमाओं को लांघ गया है। जो नया ऑर्डर था 20.03.2015 का, जो नया कानून बना, वो था 'targeting Public Distribution System Control Order,2015.'

अध्यक्ष महोदय, इस ऑर्डर को पास करने के बाद, इससे पहले जो 'Delhi SpecifiedArticles Regulation of Distribution Order 1981' में पारित

हुआ था, वो खत्म हो गया था और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो वहाँ बताया था, उसमें था 'mainlyAdministrator of the Union Territory' परंतु जो 2015 में उस पहले कानून को और एल.जी. की पावर को रद्द कर दिया था, उसके मुताबिक जो कानून था, जो नया ऑर्डर था 'targeting Public Distribution System Control Order,2015' में डेफिनेशन में एडमिनिस्ट्रेटर का नाम तक नहीं रखा गया, वहाँ जो ए से पी तक, जो डेफिनेशन के पार्ट थे, वहाँ कहीं नहीं था। There was no mention of AdministratorAt Any stage और वहाँ गवर्नमेंट को क्या कहा था, वहाँ गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहा। उस कानून में, उस ऑर्डर में था State Government means Union Territory/administration यहाँ एल.जी. को इस पदवी से बाहर रखा। यहाँ अपील इस नये कानून के मुताबिक दी गई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और यह अपीलेट अथॉरिटी थी और इसके सैक्शन (16) में जो प्रोटेक्शन थी, जहाँ अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि उन ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश कर दी एल.जी. महोदय ने। वहां इस नये कानून में प्रोटेक्शन है वहाँ सैक्शन (16) है "Protection of action taken under order. No suit, proceeding, prosecution or other legal proceedings shall lie againstany person for any thing and any person includes the complainant. In this case, it wasan MLA of that constituency who is affected by this act. यहाँ उनको भी इम्यूनिटी है और वहाँ कहते हैं for anything against any person for anything which is in good faith that intends for that or intended to be done in pursuance of this order."

यहाँ जब इस नये कानून में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, उसने जब कंप्लेनेंट को और किसी भी ऐसे ऑफिसर को जो इस केस में कोई भी ऑर्डर पास करेगा, उसको इम्यूनिटी दी कि अगर वो इस कानून के तहत् कोई ऑर्डर पास करेगा तो वो इम्यून है तब क्या कारण था कि एल. जी. महोदय ने इस 2015 के कानून को दरकिनार करते हुए 1981 के कानून के तहत् वो अपील एक्सेप्ट ही नहीं की, बल्कि ऐसा ऑर्डर पास किया जो करप्शन की पराकाष्ठा को पार करता है। सस्पेन्शन हुआ 27.04.2015 को, क्योंकि उस दुकान पर 49.63 क्विंटल व्हीट कम था, 10.92 क्विंटल राशन शोर्ट था। इसके बाद 26.06.2015 को जब डी.सी. ने कंफर्म किया ऑर्डर और उसके बाद अपील फाइल की। उस आदमी ने बड़ी बदमाशी की साहब, जो दुकानदार है, उन्हें पता था कि नया कानून आ चुका है, पर चूंकि उन्हें फायदा लेना था इसलिए उन्होंने अपील फाइल की, उसी पहले कानून 1981 के तहत्। जो ऑर्डर था, उस 2015 के ऑर्डर को कभी नहीं बताया। एक बात समझ में नहीं आई, यह लास्ट ऑर्डर कोर्ट का है, यहाँ लिखा है "Court of the Ltd. Governor of Delhi" तब उसमें उनके वकील भी होंगे, जिसने फाइल की, उनके वकील भी होंगे, तब फिर क्या दिक्कत थी अगर इनको भी बुला लेते, ये भी कोई अपना वकील ले जाते? डिपार्टमेंट अपना वकील ले जाता, कम से कम कोर्ट को बता देता, उनकी बदनीयती को बता देता कि आपके पास यह अधिकार, इस कानून में नहीं है 1981 का कानून अब इस धरती पर नहीं है। क्योंकि 2015 में नया ऑर्डर पास करके उस ऑर्डर को खत्म कर दिया गया था। यहाँ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मदन लाल जी, कन्क्लूड कीजिए प्लीज।

श्री मदन लाल : सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। यहाँ जो एल.जी. का ऑर्डर है, वो मैं जरूर पढ़ना चाहूँगा। उससे पहले मैं बताता हूँ, पुराने ऑर्डर में जो था, वहाँ उनके पास पावर थी जो सरकार ने बाद में खत्म कर दी। वहाँ था प्रोविजन (16) का एक "nothwithstanding anything contained in this order, theAdministrator may call for and examine suo moto" जो पढ़ दिया परन्तु इस नये कानून में यह बिल्कुल भी नहीं है जो 2015 का कानून है वहाँ एल.जी. के पास 1981 के कानून का सहारा लेकर इस दुकान के लाइसेंस को रिस्टोर करने की कोई पावर नहीं थी और अगर ऐसा उन्होंने किया है जो साफ जाहिर है, जो ऑर्डर है, मुझे लगता है बेईमानी हुई है। अगर दुकानदार कहे कि मैंने 12 लाख रुपये दिये हैं और वो तड़ी से कह रहा है कि उसकी दुकान का लाइसेंस रिस्टोर हो गया। उस बेईमान दुकान का, जो गरीब जनता का राशन खाता खाती है, यह एक इशारा है कि किसी भी आदमी को जो हमारा है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी उसकी तरफ अंगुली न उठाये और साथ के साथ अगर किसी एम.एल.ए. ने भी हिम्मत की, तो उसे भी हम जेल भिजवा देंगे। यह ऑर्डर कहता है। इस ऑर्डर की लाइन इतनी भयानक हैं! मैं इस सदन के सामने उसको पढ़ना चाहूँगा। यह ऑर्डर की लास्ट लाइन है "therefore, in the interest of justice, facts and circumstances of the case, I set aside impugned order dated 26.6.21015And 21.1.2016 and thereby restore the Authorization licence no. so and so in favour of the petitioner." वो यहीं खत्म नहीं हो गये, उन्होंने उस 1981 के कानून का सहारा लेते हुए न

केवल दुकान का लाइसेंस रिवोक कर दिया, लाइसेंस अलाउ कर दिया और उनको कह दिया कि आपको बेईमानी करने का लाइसेंस दे रहे हैं, आप लगातार बेईमानी करो और उसको एन्श्योर किया कि कोई भी ऑफिसर, जो भी डिपार्टमेंट का हो या कोई एम.एल.ए. उसकी तरफ देखे नहीं, इसलिए उनके लिए आगे लिख दिया "further, I direct the Commissioner of Police to have the entire matter investigated and in case, any act of criminality is found against the MLA, what would act of criminality means the complainant, he said, he is a thief, please take Action against him. Department people came, they measured his goods जो वहाँ थे, उनको मेज़र करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने उसको सो कॉज नोटिस दिया। उसने सो कॉज नोटिस का सही जवाब नहीं दिया, कह दिया मैं तो बीमार थी। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने उसका लाइसेंस कैंसिल किया। कमिश्नर ने किया, वहाँ उसने कभी नहीं कहा कि एम.एल.ए. ने फोर्सफुली आकर दुकान पर 200 आदमी लाकर मेरी दुकान का गल्ला जबर्दस्ती बंटवाया, कहीं नहीं कहा। पर एल.जी. महोदय ने अपने ऑर्डर में पता नहीं कहाँ–कहाँ से बातें लाकर बताईं, कहाँ–कहाँ, किस–किस बातों को सच्चाई माना और एक ऐसे आदमी के खिलाफ जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको बिना सुने एक ऑर्डर पास कर दिया कि उन्होंने गुंडागर्दी की है, यह ऑर्डर का हिस्सा है। कहते है। "I direct the Commissioner of Police to have the entire matter investigated and in case any act of criminality is found Against the MLA or any other Government or public person" यह थ्रेट थी उन सारे अफसरों को कि अगर इनमें से किसी अफसर के खिलाफ

भी आपको लगे कि उसने एक्शन किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना और जेल भिजवा देना। “then action be initiated under relevant sections of CrPc. The report in the matter be sent to this court in two weeks.” यह हमने कभी नहीं सुना, किसी मैटर में कोई कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास कर देती है और कहती है “take Action against those who are found guilty” चाहे कंप्लेनेंट भी हो, पर यहाँ तो कंप्लेनेंट सैक्शन 16 इम्यून किए हुए हैं। जब उस कोर्ट को और एल.जी. को अच्छी तरह पता है कि सैक्शन 16, जो 15 अगस्त, 2015 का ऑर्डर है, उसमें साफ लिखा है कि कोई भी आदमी जो इस प्रोविजन के तहत् गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। यहाँ तो ये मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। यहाँ तो कंप्लेनेंट को इम्यूनिटी दे रहे हैं और उन सरकारी अफसरों को कह रहे हैं कि इन्हें आप जेल भेज दो क्योंकि इन्होंने एक राशन दुकान को चोरी करते हुए पकड़ लिया है। यह दिखाई देता है उनका बायस्ड, यह दिखाई दे रहा है उनकी इन्टेंशन। यहाँ आगे कहा हैः “The present matter also reflects very poorly on the functioning of the officials of the respondent department.” सर, जिन लोगों ने उस दुकान पर छापा मारा, जिन लोगों ने चोरी पकड़ी, उन ऑफिसर्स ने सो–कॉज नोटिस दिया, उसका जवाब दाखिल करने के बाद, वो सस्पेंड किया। उसके बाद एक बड़े अफसर के पास अपील गई, उन्होंने भी उस एक्शन को सही माना। उसके बाद एक थर्ड ऑफिसर के पास गई, उन्होंने भी सही माना और दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया। उनको ये कहते हैंः “The present matter also reflects very poorly on the functioning of the officials of

the respondent department.” पूरा का पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्ट है इंक्लूडिंग द कमिश्नर। वो कह रहे हैं: ''कमिश्नर भी बेकार है।'' “Department of Food Supply & Consumers’Affairs, Govt. of NCT of Delhi. The Commissioner and the Officers at the cutting edge handling the matter have reasonably failed to protect the rights of the licencee, particularlyA widow.” सर, जो चोरी कर रही है, वो चाहे विडो हो, चाहे साध्वी हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे महिला हो, इस देश के कानून के मुताबिक चोर चोर है और अगर वो किसी ऐसे चोर को रोकना चाहे, वो पद का दुरुपयोग कहलायेगा। क्योंकि वो जो राशनकार्ड की दुकान वाला है, वो खुलेआम कह रहा है कि 12 लाख रुपये दिये हैं। ''मेरी दुकान को कोई कैंसिल नहीं करा सकता'', यह उसका पब्लिकली कहना है और उसको रुकवा कौन रहा था? उसी क्षेत्र काएक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव !

अध्यक्ष महोदय : मदन लाल जी, आप कन्क्लूड कीजिए प्लीज। लम्बा हो गया, प्लीज कन्क्लूड करिये।

श्री मदन लाल : सर, मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ और उन्होंने कहा “licencee, particularly a widow and, therefore, Chief Secretary, Chief Vigilance Officer, Govt. of NCT of Delhi is directed to take appropriate disciplinary action against the concerned Officials and Action taken by the Chief Secretary be intimated to the Office within two months.” यह थ्रेट है, उन सरकारी ऑफिसर्स को जो ईमानदार थे, जिन्होंने चोर की चोरी पकड़ी। सर, इस तरह तो पूरी दिल्ली में बवाल मच जाएगा। यहाँ तो राशन

माफिया की रोज शिकायत आती है, यहाँ तो रोज पता चलता है। हर आदमी की शिकायत है कि यह राशन सही टाइम पर नहीं बेच रहा, यह सब–स्टेंडर्ड माल बेच रहा है, ये ज्यादा पैसे ले रहा है। अगर इस तरह लाइसेंस रिवोक होंगे और 1981 के कानून से... जो इस देश में कानून ही नहीं है तब भगवान ही मालिक है और चूंकि इस मामले में करप्शन है, इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूँ कि इसमें कमेटी बनाई जाये। वो कमेटी इसकी जाँच करे, वो कमेटी उन सारे लोगों को बुलाये, जिनको राशन नहीं मिल रहा, उस दुकानदार को भी बुलाये, क्योंकि 'Principle of Natural Justice' का पालन किया जाना चाहिए, जो इस केस में नहीं किया है। उन्होंने कंप्लेनेंट को नहीं बुलाया, उन्होंने उन ऑफिसर्स को भी नहीं बुलाया, कोई जांच–पड़ताल नहीं की, पब्लिक को नहीं बुलाया और एक ऐसा आदेश पारित कर दिया कि चीफ सेक्रेट्री को डायरेक्ट कर दिया कि इनके खिलाफ एक्शन ले लो। कमिश्नर को कह दिया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भिजवाने की तैयारी करो। यह चोरी का और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण है। ऐसे में इस सदन से और आपसे निवेदन है कि इसमें एक कमेटी बनाये। वो कमेटी सारे एपिसोड की जाँच करे और यह भी जाँच करे कि क्या कारण थे कि 1981 का कानून, 2015 का कानून बनने के बाद भी पालन हो गया और देखे कि इसमें जो 12 लाख रुपये की कंप्लेंट वो कर रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। मैं आपके माध्यम से, आपका धन्यवाद करते हुए, यह निवेदन करता हूँ कि एक कमेटी जरूर फॉर्म की जाये जो इस सारे मामले की जाँच करे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री सोमनाथ भारती जी। और भी चर्चा के विषय हैं, मैं बस तीन एम.एल.एज. को समय दे रहा हूं। विषय गम्भीर था, इसलिए मैंने इसको एक्सेप्ट किया है, समय दे रहा हूं।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद आपने मुझे इस चर्चा में हिस्सा लेने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, आज जो संजीव झा जी ने सदन के पटल पर मुद्दा रखा है, यह लीगल होने के साथ–साथ इमोशनली भी कनेक्टेड है हमसे। मुझे याद है कि जब बरसों पहले अरविंद जी राशन माफियाओं के खिलाफ, जब उन्होंने सीलमपुर में अपनी आवाज उठाई थीं, उसी सिलसिले में हमने अपनी एक बहुत उम्दा साथी संतोष कोहली को भी गंवाया। उन राशन माफियाओं ने कितनी बार आक्रमण किया कोहली बहन के ऊपर! आखिरकार हमने उनको गंवा दिया! आज मैं बधाई देता हूं संजीव झा जी को कि वे इसस ज्वलंत मुद्दे को आज सदन के पटल पर लेकर आये, उसके लिए बहुत–बहुत उनका धन्यवाद। आज जो कुछ भी हमारे साथी मदन लाल जी ने बोला, संजीव झा जी ने बोला, उससे एक बात तो साफ–साफ हो जाती है भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां देश को क्षेत्रीयता के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटकर के रूल करने का प्रयास करती हैं। आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी एक ही तरह से देखती है। पूरा समाज दो वर्गों में बंटा है शोषित और शोषक। एक्सप्लॉएटेड और एक्सप्लॉएटर ये जो कानून है 'Essential Commodities Act,1955' किसके लिए बना? किसके खिलाफ बना? एक्सप्लॉएटेड को फायदा पहुंचाने के लिए या एक्सप्लॉएटर के खिलाफ

बना? शोषितों को फायदा पहुंचाने के लिए और शोषक के खिलाफ बना। आम आदमी पार्टी शोषितों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी उन सभी लोगों की पार्टी है, जिनके कि अधिकार बार–बार हनन होते रहे। मुझे लगता है राशन कार्ड धारक हैं कौन? वो तो वो है, जिसके अधिकार नहीं मिल रहे, ऐसा बाकायदा कानून बनाया गया है कि उस कानून के अंतर्गत ऐसा प्रोविजन हो कि जो एसेंशियल कमोडिटीज है। वो गारंटीड रूप में एक उचित दर पर गरीब को मिल पाये और इस एक्ट से माननीय एल.जी. महोदय ने यह साबित किया कि उनका साथ शोषकों का है, उनका साथ शोषक के साथ है। वो शोषक के साथ हैं और यह पार्टी जब–जब हमारे सारे विधायक कमिटेड है कि जब–जब कहीं भी शोषितों का हक या उनके राइट्स का हनन होगा, हम खड़े होंगे। बधाई के पात्र हैं संजीव झा जी कि इन्होंने ये कर दिखाया। अभी मदन जी ने बड़े अच्छे तरीके से तीनों कानूनों का व्याख्यान किया। 1981 में जो कानून बना था that was a state law. That was made by the state under the delegation of power by the Central Government in 1981. There was a provision that कि उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर, बड़ा इंट्रेस्ट्रिंग है कि सबसे पहले जो पहला अथॉरिटी है उसकी अपील लाई जाती है कमिश्नर के पास और उसकी अपील पॉसिबली अगर स्यू मोटो एडमिनिस्ट्रेटर जो कि दिल्ली के संदर्भ में एल.जी. महोदय हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने कानूनों की जानकारी लेनी चाही और हाई कोर्ट्स के डिसिजन देखें तो जब–जब कमिश्नर का भी फैसला अगर जो लाइसेंस होल्डर है, उसके खिलाफ आया तो वो रिट के अंदर हाई कोर्ट गया। यहां पर ऐसी क्या आशा की किरण नजर आई कि 1981

के पुराने कानून के अंतर्गत एल.जी. महोदय को अप्रोच किया गया और एल. जी. महोदय ने अपना फैसला... पुराने कानून जो कि आज की तारीख में ऑब्सोलीट है, जो रिपिल्ड है, उसके अंतर्गत सुना दिया। कुछ न कुछ तो इसमें दाल में काला है अध्यक्ष महोदय, 27 अप्रैल, 2015 को नोटिस दिया जाता है असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा। बाकायदा उसमें बहुत डिटेल्ड है और कई हेयरिंग्स हुई हैं। 11.05.2015 को हीयरिंग हुई, 18.05.2015 को हुई, 21. 05.2015 को हुई, 08.06.2015 को हुई इन सारी हीयरिंग्स में जो प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस है, उसका बाकायदा पालन किया गया और यह एन्श्योर किया गया कि जिसके खिलाफ यह मुकदमा है, जिसके खिलाफ यह एक्शन लेने की बात चल रही है, उसको बाकायदा एक एवेन्यू दी जाये, उसकी बातें सुनी जाये और सब कुछ सुनने के बाद जब यह लगा कि यह मुद्दा बाकायदा उसके खिलाफ बनता है, उसने वायलेशन किया है, तो कानूनन उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। उसकी अपील डाली गई। अपील में भी जो लाइसेंस होल्डर ने इल्जाम लगाये संजीव झा जी पर कि ये आ गये, इनके गुंडे आ गये, उन्होंने हमारे ऊपर बड़ा एक दबाव बना दिया। हम लिख नहीं पाये, हम रजिस्टर में डाल नहीं पाये, यह सब कुछ झूठा पाया गया और बार–बार यह पूछा गया कि अगर संजीव झा जी और उनके लोग आकर के आपके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे तो क्या आपने पुलिस को बुलाया? पुलिस को नहीं बुलाया, लेकिन एल.जी. महोदय एक ऐसे ऑर्डर में जो कि पुराने रिपिल्ड कानून के अंतर्गत पास किया गया, उसमें लिखते हैं कि हो सकता है उनके ऊपर दबाव हो, साइकोलॉजिकल प्रेशर हो। जज भी वही हैं, उनके वकील भी वही हैं। इसमें हो क्या रहा

है? अध्यक्ष महोदय, 1981 तक पूरा का पूरा कानून पूरा का पूरा आर्डर रिपीट कर दिया गया 2001 के कानून से और उसको पूरा का पूरा रिपीट कर दिया गया 2015 के कानून से। 20 मार्च, 2015 को जो नया कानून पारित हुआ सेन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद कोई चांस ही नहीं रह जाता कि 1981 का कानून या 2001 के कानून की कोई हस्ती हो। ये बहुत ही इट्रेस्टिंग और बहुत गंभीर मुददा है इस सदन के लिए क्योंकि राशन कोई अमीर नहीं लेने जाता, राशन गरीब लेने जाता है और हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के नेतृत्व का खास रिश्ता रहा है। राशनकार्ड माफियाओं के खिलाफ उन्होंने काफी बड़ा आंदोलन किया अपने जीवनकाल में। हम इसमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसर हैं। हमारे लोगों ने देखा है कि किसी तरह से जो लाइसेन्स होल्डर है, किस तरह से राशन की बिक्री किसी और को कर देता है, ब्लैकमेलिंग करता है और गरीबों को उनका राशन नहीं मिल पाता है। अध्यक्ष महोदय, जो इसमें चिन्ताजनक विषय है हमारे पास, एल. जी. ... कोड अगर पढ़ लिया जाए, उसमें साफ–साफ नजर आता है कि किस तरह से एक पुराने कानून के अंतर्गत जो कि रिपील्ड कानून है और वो एल.जी. महोदय हैं, एल.जी. महोदय के पास देश का जो विशिष्ट से विशिष्ट नाम सीनियर एडवोकेट्स की लिस्ट लगी हुई है, मुझे नहीं लगता है कि उनके पास कानून की जानकारी नहीं थी। एक ऐसा कानून जो कि रिपील्ड हो चुका है जिसका अस्तित्व नहीं रहा, उस कानून के अंतर्गत... जबकि नया कानून आ चुका है 20 मार्च, 2015 को नया कानून आ चुका है, इस कानून को दरकिनार करते हुए पुराने कानून के अंतर्गत क्या काम किया गया? राशनकार्ड लुटेरा चोर के फेवर में एक आर्डर पास किया गया

और उसके लिए जो शब्द यूज किये गये बकायदा लिखा गया, उन्होंने फैसला भी ले लिया बगैर इन्वेस्टिंगेशन के कहा कि संजीव झा के खिलाफ एक्शन लिया जाए।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, प्लीज कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, मुझे याद आ गया एक डीडीए की मीटिंग में जिस तरह से उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारे ऊपर मैं एफ. आई.आर. दर्ज कर दूंगा, ये एल.जी. महोदय हैं या किसी की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं? ये तो बहुत दुखदपूर्ण हैं! ये तो राशन माफियाओं के खिलाफ जो संजीव भाई ने काम शुरू किया है, मुझे याद है अगर इसमें दिल्ली पुलिस शामिल होती तो आज संजीव भाई अंदर होते। ये तो खैर है कि हमारा ही डिपार्टमेंट था, हमारे ही डिपार्टमेंट के आफिसर्स ऑनेस्ट थे। उन्होंने बकायदा उस पर एक्शन लिया। मुझे खिड़की की घटना याद आती है। उस वक्त तो जो हमने ड्रग माफिया के खिलाफ किया, वो संजीव भाई ने आज राशन माफिया के खिलाफ किया।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, अब कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, अगर आज इसके संदर्भ में देखें तो माननीय एल.जी. महोदय के खिलाफ Section 13(1)(d) Prevention of CoprruptionAct, 420, 409, 120B IPC इन सारी धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का पूरा–पूरा केस बनता है। मुझे ये लगता है... मैं अपने साथी मदन जी का जो प्रपोजल है, उसका समर्थन करता हूं कि एक समिति बननी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए। वो कमेटी इस पूरे मामले को एल.जी.

महोदय की तरह नहीं कि उन्होंने न तो संजीव झा जी को बुलाया न तो अधिकारियों को बुलाया और कह दिया आनन–फानन में कि इनके खिलाफ एक एफ.आई.आर. दर्ज करो।

अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए मैं इस प्रपोजल का समर्थन करता हूं कि एक समिति एक कमेटी बने और वो कमेटी इन सारे पहलुओं के ऊपर पर विचार करके जो भी इसमें दोषी हों, चाहे वो माननीय एल.जी. महोदय हों, चाहे वो कोई और हो, उन सब के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। मेरा पूरा–पूरा समर्थन है माननीय मदन जी के प्रपोजल पर, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः जरनैल जी, सिर्फ एक मिनट, जरनैल जी, अमानुतुल्लाह जी, एक सेकेंड... केवल एक मिनट इन्होंने विषय रखना है।

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, ये राशन एफ.पी.एस. होल्डर्स को एल.जी. साहब की सपोर्ट का बुराड़ी विधानसभा का ये कोई पहला मामला नहीं है। साल 2014 में जब हमारी सरकार नयी थी तो मैं बताना चाहता हूं कि एल.जी. साहब के दिल में जो हमदर्दी है राशन चोरों के प्रति, वो आज से पैदा नहीं हुई वो 2014 से चल रही है। चार दुकानें मेरी विधानसभा में हमनें सील कराई थीं। वो चारों की चारों इमीडेटली डि–सील करने के आर्डर एल.जी. साहब के द्वारा ही हुए थे। क्योंकि दिल्ली में तब कोई तत्कालीन सरकार नहीं थी। उसके बाद इस आर्डर का ड्रॉ बैक जो आ रहा है, अभी जो हमें भुगतना पड़ रहा है, हमारे किसी साथी को कोई डर नहीं है किसी पुलिस से या एलजी साहब के किसी आर्डर से, पर चार दुकानों की फिर से इन्वेस्टिगेशन चल रही है मेरी विधानसभा

मे। तो कमीशनर साहब मुझे ये आर्डर दिखाकर बोलते हैं, ''जी, देखो हम क्या काम कर रहे हैं! हमारे चीफ सेक्रेटरी तक को एलजी साहब ने लिख दिया, पुलिस को लिख दिया कि आप इनके कहने पर काम नहीं करोगे। आप मेरे कहने पर काम करोगे और ऐसी किसी दुकान को आप बैन नहीं कर सकते जो सरासर मेरे साथी बता रहे हैं पचास–पचास, साठ–साठ क्विंटल की चोरी साफ–सुथरी पकड़ी गई। डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आ गई, दुकान सील हो गई। उसके बाद अगर चोरों को इतना खुलेआम सपोर्ट किया जा रहा है तो इस समय जो दिल्ली के अंदर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली सरकार है, उसकी तरफ से कोई सख्त मैसेज जाना चाहिए चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से एल.जी. साहब को इस चिट्ठी का प्रॉपर रिप्लाई जाना चाहिए और इसकी कमेटी भी बननी चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है।... बैठिये अमानुतुल्लाह जी, अंतिम बस।

श्री अमानुतुल्लाह खानः शुक्रिया अध्यक्ष महोदय जी कि आपने मुझे इस मसले पर बोलने की इजाजत दी। संजीव झा जी ने जो मुद्दा उठाया वो बहुत अहम मुद्दा है और उसमें जिस तरह से एल.जी. साहब ने एक राशन दुकानदार को जिस तरह से सपोर्ट किया, उसका नतीजा यह हुआ कि पूरी दिल्ली के अंदर जब इलेक्शन से पहले हम लोग कैम्पेनिंग करते थे तो सबसे ज्यादा गरीबों के पास हम जाते थे तो वहां ये शिकायत आती थी कि हमें राशन वक्त पर नहीं मिलता है। हमें दुकानदार राशन पूरा नहीं देते, दुकानें वक्त पर नहीं खोलते और राशन आने से पहले राशन बिक

जाता है, हमें नहीं मिलता है। तो जब हम लोग आये सरकार में तो हमने आकर के इस पर लगाम लगाई और उसका यह नतीजा हुआ कि पूरी दिल्ली के अंदर गरीबों को राशन मिलना शुरू हो गया और पूरी विधानसभाओं में ऐसे भी मौके आये कि एक भी शिकायत पूरे दिन में या पूरे महीने में नहीं आती थी। मेरे यहां भी ऐसा होता था लेकिन जब ये वाकया हुआ, एक आदमी जो कि बेईमानी करता था उसकी शिकायत विधायक जी ने की, उसके खिलाफ इन्क्वायरी हुई और सबूत उसके खिलाफ मिले और उस पर जब उसका लाइसेन्स रद्द किया तो उसको एल.जी. साहब ने फौरन उसको जो सहूलियत दी और उसको बोला, उसका नतीजा यह हुआ कि पूरी दिल्ली के अंदर राशन माफिया दोबारा से अपने काम पर आ गये और उन्होंने दोबारा से गरीबों को राशन देना बंद कर दिया और एल.जी. की जिम्मेदारी होती है और पूरी स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों के जो हकूक हैं, उनकी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। उनका हक उसको देना उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म के खिलाफ उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके ऊपर जुल्म न हो और जो जालिम है, उस पर शिकंजा कसे लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि वो जालिम के साथ खड़े हो रहे हैं। हम यहां देख रहे हैं कि वो खुलेआम गुंदागर्दी पर उतरे हैं। 2001 से लेकर 2014 तक एक भी ऐसी दुकान नहीं है जिसको एल.जी. साहब ने सपोर्ट किया हो। आखिर क्या वजह है कि हम लोग जैसे ही सरकार में आये तो इन लोगों ने राशन माफियाओं को सपोर्ट करना शुरू किया? अब से पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। तो ये एक गुंडागर्दी है और ये एक ऐसा एल.जी. है जो भा.ज.पा. का सीधा–सीधा दलाल

है। भा.ज.पा. की सीधी दलाली एल.जी. साहब यहां पर कर रहे हैं। ये एक वाकया इनका नहीं है। मैं इस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं और यह रमजान का पाक महीना है। इस रमजान के महीने में हर मुसलमान ये चाहता है, मुसलमान क्या, हिन्दू क्या, सिख क्या, सब लोग चाहते हैं कि इस रमजान के महीने का आदर किया जाए, इज्जत की जाए। मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं। मेरे पास अभी चार दिन पहले कुछ लोग आये, ये गुलमोहर पार्क मस्जिद दरवेश अली शाह है। ये यहां पर पिछले दो साल पहले रमजान के महीने में एल.जी. साहब ने यहां पर एक मस्जिद है जिसमें सालों से नमाज हो रही थी, उसमें शरीके कार जो वक्फ बोर्ड के इमाम थे उसके अंदर वो इमामत करते थे वहां पर इन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि यहां पर आपके खिलाफ शिकायत है कि आप माइक जो चलाते है, वो माइक न चलाओ। एल.जी. साहब ने जबरदस्ती शामिल होकर के उस माइक को बंद कर दिया। उसके कुछ दिन बाद वहां पर नमाज पर पाबंदी लगा दी और मस्जिद के अंदर ताला लगा दिया गया। वो मस्जिद वक्फ बोर्ड की मस्जिद है। नोटीफिकेशन उसका है। लोगों ने गुहार लगाई। लोग इक्ट्ठे होकर इनके पास गये कि ये रमजान का महीना है, आप कैसे मस्जिद को रोक सकते हो? आप एक मुसलमान हो। कोई भी हिन्दू, कोई भी सिख, कोई भी इसाई ऐसा नहीं कर सकता कि एक मस्जिद में नमाज हो रही हो और उस मस्जिद में नमाज बंद कर दी जाए! लेकिन एलजी साहब ने उस मस्जिद में नमाज पर पाबंदी लगाई, उस मस्जिद में ताला लगाया। जो सालों से वक्फ बोर्ड की मस्जिद है। वक्फ बोर्ड के इमाम को वक्फ

बोर्ड वहां पर तनख्वाह दे रहा है लेकिन दो साल से वहां नमाज नहीं हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कैसा मुसलमान है? कोई हिन्दू इस काम को नहीं कर सकता, कोई सिख इस काम को नहीं कर सकता। हमें शर्म आती है ऐसे आदमी को मुसलमान कहने के लिए। हमें शर्म आती है ऐसे आदमी पर जो कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चला रहा है। तिकोना कब्रिस्तान निजामुद्दीन के अंदर है, वहां पर ये आदमी बुलडोजर चला रहा है, चार मस्जिदें वहां हैं। चारों कब्रिस्तान वहां मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः अमानुतुल्लाह जी, विषय थोड़ा सा डाईवर्ट हो रहा है, प्लीज।

श्री अमानुतुल्लाह ख़ानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि एलजी साहब की जो गुंडागर्दी आज दिल्ली के अंदर चल रही है, किसी भी मुद्दे पर हम लोग आवाज उठाते हैं, किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ हम शिकंजा कसते हैं, ये लोग खुलेआम सामने आ जाते हैं और ये उसको खुला सपोर्ट देते हैं। हम लोग भ्रष्टाचारियों को रोक नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हैं। राशन एक गरीब आदमी का हक है, जो सबसे कमजोर तबका इस समाज का है, राशन उसका हक है। सबसे जो कमजोर है जिसको खाने को नहीं मिलता। जिसकी इनकम 5 से 7 हजार रूपये महीना की है, उसका ये हक है। अगर उस पर आज डाका डाला जा रहा है और उसमें पैसे लेकर के एल.जी. साहब उन डाकुओं का साथ दे रहे हैं। वो गलत है। हम चाहते हैं कि इसकी इन्क्वायरी हो

और विधानसभा से एक ऐसी कमेटी बने, चाहे कोई भी हो, किसी भी पद पर बैठा हो, जालिम किसी भी पद पर हो, कानून सबके लिए बराबर है। अगर एल.जी. साहब ने गलत किया है तो उनको भी सजा होनी चाहिए और जिस तरह से कानून के जानकारों का कहना है कि जो उन्होंने कानून को तोड़ा है, उस पर धारा 420 और 409 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनकी भी वही जगह होनी चाहिए और दूसरे भ्रष्टाचारियों की तरह इन्हें भी जेल में जाना जाहिए, शुक्रिया, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः संजीव जी, पूरा हो गया विषय।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, चर्चा करने से कुछ नहीं होगा आपकी रूलिंग आनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि इस सदन में पूरी दिल्ली की जनता ने बहुत सारी उम्मीदों से चुनकर भेजा है। यह सदन इतना कमजोर नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद पर क्यों न हो, अगर वो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपकी ये रूलिंग आनी चाहिए कि एक जांच कमेटी बने, एल. जी. साहब को समन किया जाए और कठोर से कठोर उनको सजा दी जाए जब तक ऐसे दंड वाली की रूलिंग नहीं आएगी, हम लोग ऐसे नहीं बैठेंगे। चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, आपकी रूलिंग आनी चाहिए कि जांच कमेटी बने।

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं दो मिनट बैठे, एक मिनट बैठें जरा।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, जब तक ये आपकी रूलिंग नहीं आती हैं। अध्यक्ष महोदय कई सारे ऐसे मुद्दे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप एक मिनट बैठिये जरा ! संजीव जी, प्लीज बैठिये। झा साहब बैठें, वाजपेयी जी बैठिये प्लीज, प्लीज बैठिये सोमनाथ जी, प्लीज।

श्री संजीव झाः एल.जी. साहब राशन माफिया के सरगना हैं। उनके संरक्षण में अभी जरनैल भाई ने कहा कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। और ऐसी कई सारी दुकानों पर पहले हमारे अधिकारियों ने कार्रवाई करी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मदनलाल जी, प्लीज बिठवाइये जरा, बैठिये संजीव जी। दो मिनट का मौन कीजिये, प्लीज बैठिये, एक मिनट बैठिये, एक बार बैठिये तो सही, भाई मेरा यह कहना है, प्लीज जरा ध्यान देंगे एक बार. ...

श्री संजीव झाः जब तक रूलिंग नहीं आएगी कि जांच कमेटी का गठन हो, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भाई जगदीप जी दो मिनट के लिए बैठ जाइये, जगदीप जी। मदन जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि एक बार ध्यान दीजिये

प्लीज एक बार ध्यान दीजिये। इस चर्चा में भाग लेने के लिए जगदीश प्रधान जी ने भी अपना नाम दिया है। एक बार हम उनको सुन लें कि ये दुकान कैंसिल होने के बाद एल.जी. ने कैसे कानून का... संजीव झा जी ने सारा विषय रखा है, सोमनाथ जी ने रखा है और किस ढ़ंग से आफिसर्स को लताड़ा गया है, वो सारा विषय डाक्यूमेंटरी है वो रखा है, जगदीश प्रधान जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपकी बात सुनेंगे, एक मिनट के लिए।

श्री जगदीश प्रधानः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो राशन के मामले में चर्चा हुई मैं उस पर धन्यवाद करता हूं आज राशन के जो दुकानदार हैं वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं अगर एल.जी. साहब ने इस पर कोई गलत निर्णय लिया है तो हम लोगों को हाई कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और जांच कमेटी ...(व्यवधान) उसी मामले में एक–दो बात और कहना चाहता हूं ...(व्यवधान) एक सेकेण्ड साहब, दिल्ली के अंदर करीब दो लाख चार हजार चार सौ कुछ राशनकार्ड हैं जो गरीब लोगों के लिए बनाये गये थे। उनके घरों में वो आज तक नहीं पहुंच पाये हैं और जितने भी राशन के दुकानदार माफिया हैं, उन राशनकार्डों को दबाये बैठे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भाई विजेन्द्र जी, या तो आप लिखिए। मुझे ये बात पसंद नहीं आती या तो आप लिखकर देते।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं लिखकर देता हूं।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, अब नहीं, अब समय नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये विपक्ष का ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, जगदीश जी बोल रहे हैं। जगदीश जी विपक्ष के ही हैं न? नहीं, एक सेकेण्ड मेरी बात सुनिये। विजेन्द्र जी, आप हर बात को परेशानी में ले जाते हैं। जगदीश जी विपक्ष के हैं न? सत्ता पक्ष के तो नहीं हैं? वो बोल रहे हैं न? समय दिया है न उनको।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये जिस तरह ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप लिखकर देते पहले।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नौटंकियां हुई हैं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः क्या नौटंकिया हुई हैं ? ये सदन किस लिए बना है ? ...(व्यवधान) एक सेकेण्ड विजेन्द्र जी मैं आपको जानकारी दे दूं। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को जिस ढंग से संजीव झा जी ने पढ़ा, लताड़ा जाएगा तो यह सदन हमेशा चर्चा करेगा। चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, कितना भी बड़ा संवैधानिक अधिकारी क्यों न हो, ये सदन किस लिए बना है? ये किस लिए बनाया है सदन ? जगदीश जी बोलिये आप।

...(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधानः सर मेरा कहना ये है कि दो लाख चार हजार राशनकार्ड...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः एक सेकेण्ड मदन जी, जगदीश जी कुछ कह रहे हैं, प्लीज मदन जी, जगदीश जी कुछ कह रहे हैं।

श्री जगदीश प्रधानः दो लाख चार हजार के करीब जो राशनकार्ड राशनधारियों के पास आज तक नहीं पहुंच पाये हैं और उनका सेन्टर गवर्नमेंट से राशन आ रहा है जिसको दुकानदार ब्लैक कर रहे हैं। उसकी जांच कराई जाए कि दो लाख राशनकार्ड कहां पर हैं जिनका राशन हर महीने आ रहा है जिससे करोड़ों रूपये का चूना लग रहा है सरकार को इसकी जांच कराई जाए ...(व्यवधान).

अध्यक्ष महोदयः जरनैल जी, मुझे ठीक नहीं लग रही है ये टोका–टिप्पणी, प्लीज

...(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधानः तो सर इसकी जांच कराई जाए और ये निर्णय यहां पर असंवैधानिक किया जाए।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, कमेटी फॉर्म करने के साथ–साथ हमें राष्ट्रपति महोदय के पास जाना चाहिए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब मैं चार बजे तक के लिए सदन को स्थगित करता हूं, चार बजे हम पुनः मिलेंगे।

सदन अपराह्न 4:08 पर पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

जॉच समिति का गठन

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्य श्री सौरभ भारद्वाज जी से एक प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है। सदस्यों द्वारा सदन में व्यक्त की गई भावनाओं के दृष्टिगत, मैंने इस नोटिस को स्वीकार किया है। अब श्री सौरभ भारद्वाज अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेंगे।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष जी, मैं सदन से इस मोशन को मूव करने की अनुमति चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें।

(सामुहिक स्वर हॉ)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सौरभ जी एक सेकेण्ड।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, अब ये क्या मोशन ला रहे हैं, पहले ब्रीफ तो किया जाये।

श्री सौरभ भारद्वाज : मैं अपना मोशन बता रहा हूॅ।

अध्यक्ष महोदयः अभी जो विषय चल रहा था, उस पर कमेटी गठन करने का एक प्रस्ताव सदन में आया था, उस पर मुझे नोटिस प्राप्त हुआ है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, इसे लीगल तरीके से हैण्डल कीजिए। यहां पर एक्यूज्ड जज नहीं हो सकते।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इस सदन का काम है कानून बनाने का। कानून से ऊपर नहीं है ये सदन।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ...बात यहॉ की गयी। जिस तरह से अमर्यादित भाषा और गाली गलौच यहॉ की गयी। ये सदन की गरिमा को तार–तार कर रहे हैं आप...।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, कानून से ऊपर अमानत्तुलाह जी, एक सेकण्ड।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सब्जी मण्डी है क्या है ये? किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, आप सदन के लिए सब्जी मंडी शब्द इस्तेमाल करके सदन का अपमान कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, सदन का मिसयूज हो रहा है।

अध्यक्ष महोदयः सब्जी मंडी शब्द इस्तेमाल करके आप भी सदन के अंग हैं। क्या दिक्कत है, उसमें ? कमेटी, अगर यह विधान सभा ...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हम ये जानना चाहते हैं कि श्री संजीव झा ने किस नियम में मुद्दा उठाया है?

अध्यक्ष महोदयः सदन सर्वोपरि है। सदन सर्वोपरि है। ...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप ने रूल कोट नहीं किया। किस रूल में उन्होंने मुद्दा उठाया था?

अध्यक्ष महोदयः उन्होंने एक कमेटी गठित करने का।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः देखिए, मेरी बात सुनिए। इस सारे विषय को...

...(व्यवधान)

सुश्री अलका लांबाः उसी भाषा के लिए हाई कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इस तरह का ये प्रस्ताव है, क्या है? ये जो तरीका है, ये ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी, दो मिनट बैठे। सौरभ जी बैठे, सोमनाथ जी बैठिए जरा। प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

विशेष जॉच समिति का गठन

अध्यक्ष महोदयः देखिये विजेन्द्र जी, आपने बोल लिया, मेरी बात सुन लीजिये। दो मिनट बैठ जाइये। ये सदन का हाउस का एक सेन्स है कि

वो एक मोशन आ रहा है इस पर और उन्होंने मांग की है। विषय देखिये यह दुर्भावनापूर्ण नहीं है। उन्होंने सब कुछ लिखित में दिया है। सदन के पटल पर मेरे पास आया है ना। चलिए ठीक है।

सौरभ भारद्वाज जी को अनुमति दी जाती है।

श्री सौरभ भारद्वाज : Honourable Speaker, Sir, I may please be permitted to seek the leave of the House to move the following motion:

"this HouseAgrees that a Special Enquiry Committee, to probe the alleged irregularities in the restoration of a cancelled licence of a ration shop i.e. Janta Provisions Store located in Sant NagarArea, Burari, may be constituted. This Committee shall consist of the following members:

1. Sh. Vishesh Ravi
2. Sh. Som Nath Bharti
3. Sh.Amanatullah Khan
4. Sh. Rajesh Gupta
5. Sh. Rajendra Pal Gautam
6. Sh. Madan Lal
7. Sh. Nitin Tyagi
8. Sh. Narayan Dutt Sharma
9. Sh. Jagdish Pradhan

that the honourable Speaker shall appoint one of the members as the Chairperson of this Committee.

that the terms of reference of the Committee shall be:

1. To look into the correctness or otherwise of the procedure adopted by the authority concerned in cancelling the licence of the said ration shop;

2. To look into the correctness or otherwise of the restoration of the cancelled licence as ordered by the honourable Lt. Governor;

3. to examine the existence ofAny malafide intent, if any, in the decision referred to above;

4. To investigate grave allegations of bribery that is supposed to have taken place for restoring the cancelled licence of the ration shop;

5. To receive complaints on similar such matters and to investigate the same;

6. To take up any other matter that is incidental or consequential to the issue under examination;

That the Committee is free to decide its own procedure to fulfil the mandate given to it by the House.

That the Committee is free to enlarge the scope of investigation it needed subject to the approval of the honourable Speaker.

That the Committee shall exercise all the powers and immunitiesAvailable to the existing committees of the legislative assembly; and

That the Committee shall submit its report to the honourable Speaker before the commencement of fifth session of the Sixth LegislativeAssembly.” Thank you, Sir.

अध्यक्ष महोदय : हां, जगदीश जी, कुछ कह रहे हैं आप ?

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष जी, मैंने इसमें जो बात कही थी, यह कहा था कि आप लोगों को कोर्ट में जाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम इससे सहमत नहीं हैं। यह वायस्ड एप्रोच है, यह पोलिटिकल मोटिवेटेड है, यह दुर्भावना से ग्रस्त होकर एक कॉन्सपिरेसी के तहत सदन के अंदर अमर्यादित तरीके से चीजें हो रही है। उसका हम भाग नहीं बनना चाहते, इसलिए हमारे सदस्य का नाम इससे डिलिट किया जाये और इस तरह की किसी भी कार्रवाई का हम कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि अगर आप किसी फैसले से सहमत नहीं हैं तो कोर्ट के ऊपर उसकी रेमेडी बनी हैं। लोअर कोर्ट है, तो हाई कोर्ट है। कोर्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो उसमें अपील के प्रोविजन्स है। आप जाइए। आपको कानून के ऊपर विश्वास नहीं है क्या ? हम कमेटी बनाने के इस पूरे प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सौरभ जी, एक सैकेण्ड प्लीज। जगदीश जी, आप नहीं सदस्य रहना चाहते हैं कमेटी के ?

श्री जगदीश प्रधान : अगर एल.जी. साहब ने कोई गलत फैसला दिया था तो आपको उसके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वो आपका व्यू हो सकता है। आपका अपना व्यू हो सकता है ना। सदन का व्यू क्या है?

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, मुझे दो मिनट दे दीजिए। मैं जगदीश भाई की बात को बता दूं जो कोर्ट ने कहा। फैसला करना होता है, जहां पर इन्वेस्टिगेशन का मामला होता है, इन्क्वारी का मामला होता है तो उसके लिए कोई न कोई टीम बनानी पड़ती है या कोई इन्क्वारी की टीम बनानी पड़ती है और हाउस के पास.....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई, यह सदन भी तो होगा किसी चीज के लिए। चलिए फौरन बताइये, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सौरभ भारद्वाजः मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर जगदीश जी को कोई एतराज है, अगर जगदीश जी का एतराज है तो मैं अपने मोशन में अमेंडमेंट लाना चाहूंगा और उस अमेंडमेंट में जगदीश जी की जगह पर मैं भावना गौड़ जी का नाम प्रपोज करना चाहूंगा और आप इस अमेंडमेंट को स्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है हो गया। अब श्री सौरभ भारद्वाज जी द्वारा संशोधित प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें;

हां, जो इसके विरोध में है, वे ना कहें;

(सदस्यों के हॉ कहने पर)

हां पर जीता, हां पर जीता, प्रस्ताव पारित हुआ।

अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अल्पकालिक चर्चा श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : थैंक्यू सर

...(व्यवधान)

विजेन्द्र गुप्ता : जब आप भ्रष्टाचार पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं तो उसको एपार्टमैन्ट और कम्पार्टमैन्ट में न बांटे।

अध्यक्ष महोदय : कम्पार्टमैन्ट क्या?

विजेन्द्र गुप्ता : मतलब किसी स्पेसेफिक...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः उनको कह लेने दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः वो एम.सी.डी. का हो, जल बोर्ड का हो, वो ट्रांसपोर्ट विभाग हो, वो शिक्षा विभाग का हो, वो किसी भी विभाग का हो, उस पर यहां खुले रूप से चर्चा होनी चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकिन जब आप

भ्रष्टाचार को सीमित कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी इन्टेन्शन ठीक नहीं है। इसमें हम अमेंडमेंट चाहते हैं, जो चर्चा का विषय है, इसको किसी पर्टिकुलर एक विभाग या नगर निगम...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी अल्कालिक चर्चा के लिए, जिस विभाग का नोटिस प्राप्त हुआ है, जिस विभाग का नोटिस प्राप्त हुआ है, माननीय सदस्यों ने दिया है। अब आप दे दीजिएगा न। कल दे दीजिएगा, सो देखेंगे समय जो हो।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप भ्रष्टाचार पर चर्चा कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप राशन के भ्रष्टाचार को तो मान ही नहीं रहे हैं। आप कहां मान रहे हैं ?

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आपने बसों के मामले पर चर्चा नहीं होने दी।

अध्यक्ष महोदयः किसने चर्चा नहीं होने दी ?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सुबह बसों का जो मामला उठाया प्रीमियम बसों का।

अध्यक्ष महोदयः अभी वह ठेके नहीं हुए हैं। कुछ हुआ नहीं, भ्रष्टाचार कहां से ?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उस बात से क्या मतलब है आपका?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मुझे एक चीज बताइये, जिन बसों के विषय में अभी टेंडर नहीं हुए हैं, कोई एप्वाइंटमैन्ट नहीं हुआ है। आप मिसगाइड कर रहे हैं सदन को। आप चलिए बैठिए। आप बैठिए विजेन्द्र जी। बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नितिन जी, आप शुरू कीजिए।

श्री नितिन त्यागी : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे चर्चा शुरू करने का मुझे यह अवसर दिया है। MCD touches the daily life of all the citizens of Delhi like no other Government body. विजेन्द्र जी, आप सुनते जाइये। अच्छा लगेगा आपको। आपका नाम भी है इसमे। जब ये बात सोची कि एम.सी.डी. के करप्शन के बारे में बात करनी चाहिए। एम.सी.डी. के किस–किस करप्शन के बारे में बात करनी चाहिए, तो सोचते हुए बड़ी अजीब सी बात दिमाग में आई, थोड़ी हंसी भी आई कि कुछ दिन पहले संजीव झा जी बता रहे थे दिल्ली सरकार के पिछले एक साल की अचीवमेंट के बारे में। संजीव झा ने कहा कि जब आपने उनको टोका कि संजीव जी, शार्ट कीजिये तब उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी हमारे अचीवमेंट हैं ही इतने कि थोड़े टाईम में उन्हें गिना नहीं सकता तो जब मैं एम.सी.डी. के भ्रष्टाचार की लिस्ट बना रहा था तो मुझे लगा कि सर ये तो उसको भी एक्सीड कर रही है। इतने अचीवमेंट नहीं कर पाये हम लोग, जितने ये लोग भ्रष्टाचार करके बैठे हुए हैं। एक पूरा बीस पेज का पुलिंदा है सर मेरे पास। अगर मैं पूरा का पूरा पढने लगूं और उस पर थोडी सी एक्सप्लेनेशन दूं तो हो सकता है इस सत्र के दो

दिन हैं या डेढ़ दिन जो शेष हैं, वो मैं ही बोलता रह जाउंगा तो थोड़े से प्वाईंटस मैं इसके पढूंगा उसके बाद जनरलाइज आपको मैं बताता हूं थोड़ा सा। according to the figures available with me today the Corporation on an average could not even spend 40 % of the total allocated budget in 2013 which is quiet shameful ये लोग हमेशा अपने बजट बढाने की बात करते हैं। दिल्ली सरकार इतना नहीं देती..., उतना नहीं देती। ये लोग पास्ट में क्या कर रहे हैं और आज की तारीख में भी क्या कर रहे हैं? इसके बारे में सर क्वैशचन पूछता है the Supreme Court appointed Bhure Lal Committee was hurt by the MCDs failure to carry out its recommendations to de-marcate the parking sites in all 8 zones of city evenAfter a year of repeated reminders Sir, MCD has been shyingAway from evey responsibility that they have that need to fulfil for the citizen of this State. MCD was subject to a large scale ghost employee scam where 22,853 fictitious employees were allegedly pay salaries 22,853 fictitious employees एम.सी.डी. के रोल्स पर थे। ये घोस्ट एम्पलाइज स्कैम है बार बार दब जाता है बार बार हम उठाने की कोशिश करते हैं बार बार दब जाता है। इन भ्रष्टाचारों के बारे में कोई बात नहीं करता। In order to combat dengue and malaria a budget of 45.5 crore was sanctioned but the South Delhi Municipal Corporation only managed to spend 18.8 crores an alarming 5,574 cases of dengue and 200 cases of malaria reported in the capital. सर, ये लापरवाही नहीं है तो और क्या है? ये अपनी जनता की जान के साथ खेलना है! डेंगी हम लोग सब जानते

हैं कि कितनी जानलेवा हो सकती है। इसको डिजास्टर का रूप तक दे दिया जाता है। जब ज्यादा फैल जाती है और डिजास्टर मैनेजमैन्ट के अंडर में ये आ जाता है और हम लोग अपनी लापरवाही के चक्कर में..., पैसे खाने के चक्कर में लोगों की जान पर खेल जाते हैं। ये कैसी एम.सी.डी. है? The Delhi MCD website has beenAllocated 70 crores sir, let me tell you to get a portal its just cost you 1500 rupees 1,500 rupees which has just two zeros in it. Just two zeros and 70 crores rupees has been allocated and 70 crores has how many zeros eight, seven or eight for this website 13 crores and has been spent. मतलब 13 करोड़ का भ्रष्टाचार हो चुका है सर इसमें से 1500 रूपये निकाल लेना क्योंकि 13 करोड़ में से 1500 रूपये की तो इन्होंने पोर्टल खरीदा ही होगा बाकी का कोई हिसाब कहीं नहीं है। सर, इस तरीके से अगर मैं लिस्ट पढूंगा तो एक्चुअली वो बहुत लंबा हो जायेगा, मैं थोड़ा सा जनरलाइज करके आपको बताता हूं –एम. सी.डी. का मेन काम जो हम सब जानते हैं। हम सब एम.ए.लएज पीपल रिप्रजेन्टेटिव्स यहां पर बैठे हैं सर, अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने का सर, सफाई करके रखने का it is supposed to keep all the localities clean but it has done nothing except turning this beautiful state in a living garbage bin in my constitutency sir, there is not a singal street एक भी गली, एक भी सड़क जो एम.सी.डी. के हाथ में आती है, उसकी नाली ऐसी नहीं है जिसे हम साफ कर सकें। कर्मचारी हैं – कितने रोल्स पर है कितने असलियत में कह नहीं सकता। अभी थोड़ी देर पहले आपको घोस्ट एम्प्लाइज स्कैम के बारे में रेफर किया था लेकिन उन कर्मचारियों का शोषण कर रही

है, एम.सी.डी. उन्हें कमजोर कर रही है। उन्हें तनख्वाह नहीं देती है एम.सी.डी. और जब भी पूछें, ''वो बेचारे की तनख्वाह क्यों नहीं देते?'' दिल्ली सरकार उन्हें पैसे देती है दिल्ली सरकार ने आपको आज तक उतने पैसे दिये जितनी की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं मिले। ये डेटा है मेरे पास..., पूरा डेटा है 2013–14 में कितने मिले 2014–15 में कितने मिले 2015–16 में कितने मिले, कम्पेयर भी कर सकते हैं आप। आप एक सत्र बुलाते हैं रामलीला मैदान में कि तीनों की तीनों एमसीडी मिल के सत्र बुलायेंगीं। दिल्ली सरकार के खिलाफ आज तक आपके दिमाग में ये नहीं आया कि एक सत्र बुलाते हैं कि सफाई कैसे कर सकें 'स्वच्छ भारत' कहा था मोदी जी ने। 'स्वच्छ भारत' याद है आप सबको ? ये ''स्वच्छ 'भारत' का मजाक उडा के रख दिया। कोई एम.एल.ए. यहां पर ये नहीं कह सकता कि उसका क्षेत्र साफ है। अरे! आप अरविंद केजरीवाल जी की बात नहीं सुनते। आप एम.एल.ए. की बात नहीं सुनते, आप आप मनीष सिसोदिया जी की बात नहीं सुनते, आप उस जनता की बात नहीं सुनते जिसने आपको चुन के भेजा था। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हरेक काउंसलर से, हरेक स्टैण्डिंग कमेटी के चेयरमैन से, हर मेयर से, अरे! कम से कम अपने मोदी जी की बात तो सुन लेते। स्वच्छ भारत के बारे में धोखा देने के बजाय उसको सफल बनाने की एक झूठी कोशिश ही कर लेते। सर, एक सफाई उन्होंने जरूर करने की कोशिश करी है एम.सी.डी. ने वो है, अपने स्कैम के ट्रेसेज को साफ करने की। इसके अलावा मुझे कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो सफाई नहीं करने पर भी सीरियस हुए हैं। एक और चीज है सर, एमसीडी में जितने एम्पलाइज हैं,उनकी तनख्वाह देने की जिम्मेदारी भी एम.सी.डी की है। उनकी तनख्वाह नहीं मिल पाती। and most buffling

part of this is that though the Delhi Govt. Always pays their whatever is due and more and not even seeking the loan that they have given to them and even after this they are not able to pay salaries to their empoloyees and they forced them to go on strike and try to destabilize the city and try to show that they are the once these BJP led these Councilors these BJP led MCDs they show that they are the victims that's very sad what level of politics they have stooped down.

अध्यक्ष महोदय, एक ये पूछना चाहता था मैं। विजेन्द्र जी चले गये कि ये जितना भी फंड हम लोग बार बार भेजते हैं, दिल्ली सरकार बताती है इतने करोड़ रूपये दे दिये। हमने कभी पिछली बार से 10% ज्यादा दे दिया, कभी 20% ज्यादा दे दिया ये फंड वैनिश कहां होता है?

ये मिसमैनेजमैन्ट है कि मिसएप्रोप्रिएशन? हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक स्कैम के बारे में सुना जिसमें विपक्ष के एक नेता और उनकी धर्मपत्नी दोनों का नाम आ रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता था कि ये आपस में रिलेशन क्या है? ये धर्मपत्नी और पति के रिलेशन के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। ये मिसमैनेजमैन्ट और मिस–एप्रोप्रिएशन के बारे में पूछ रहा हूं। आप लोग मिस–मैनेज ज्यादा अच्छा करते हो या मिस–एप्रोप्रिएट ज्यादा अच्छा कर पा रहे हो? ये जो पेन्शनस कुछ साल पहले एमसीडी ने शुरू करी या 2011–2012 के आसपास पेन्शन शुरू करी थी और देखिये, आप में से अधिकांश लोग पहली बार एमएलए बने हैं। पेन्शनर्स के फार्म लाते हैं और फिर पेन्शन आनी शुरू होती है, नहीं होती। किसी ने आ के बता दिया तो पता चलता है वरना मेरे ख्याल से हमें नहीं पता होता है कि पेन्शन

आती है कि नहीं आती है। ये लोग कैश से पेन्शन देते थे जिनकी पेन्शन बनवाते थे, उन्हें कैश पेन्शन देते थे, उन्हें लाईन में बिठाते थे। पेन्शन देते थे कैश में। आप ये भी देखोगे कि जिन जिन की पेन्शन बनी थी, एक पास बुक सी होती थी जिस पर काउन्सलर की फोटो लगी होती थी। ये सारा उसी फंड से चल रहा है। अपना महिमा मंडन अपने आप सरकारी पैसे से चल रहा है! ये अपने आप में एक स्कैम है सर! इन सारे स्कैम की जांच होनी चाहिये। हमने कोशिश की। इनसे कहा कि भाई अपने अपने खाते दिखवा दो। सीएजी को आडिट करवा दो... कि नहीं जी। आडिट नहीं कर सकते। इस तरीके का मन में चोर बैठा हुआ है। क्यों आडिट नहीं कर सकते? क्या वजह है कि आपका आडिट नहीं कर सकते? क्या आप दिल्ली सरकार के उपर हैं? क्या आप इस जनता के उपर हैं? जिसने आपको चुन के भेजा है? सर हमारे एम.सी.डी. के प्राईमरी स्कूलस हैं जिनकी हालत ऐसी है कि वो स्कूल कम अस्तबल ज्यादा लगने लगे हैं। आज की तारीख में बिल्डिंग टूटी हुई है। जब बारिश होती है तब पता नहीं चलता कि क्लास रूम के अंदर ज्यादा पानी गिर रहा है या क्लास रूम के बाहर ज्यादा पानी गिर रहा है! मच्छर! एक एक स्कूल के क्लास रूम में इस कदर होते हैं कि कोई ना स्कूल जाए उन दिनों जिन दिनों मच्छर होते हैं डेंगी के सीजन में तो ही बेहतर है। स्कूल जायेगा तो मलेरिया या डेंगी का शिकार होगा ही होगा। टीचर्स की तनख्वाह नहीं दी जाती। तो टीचर्स पढाते भी नहीं हैं वहां पर। किस तरह का मिड डे मील वहां पर दिया जाता है? क्या शिक्षा वहां पर दी जा रही है? अन्याय हो रहा है अन्याय! बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है और इनके कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही! अपने

बच्चों के साथ में इस तरह का बर्ताव, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत इससे ज्यादा शेमफुल मुझे नहीं लगता और कुछ होगा। एक बहुत बड़ा फार्स है advertisement का। MCD is supposed to collect all the revenue of the advertisement that happens in their area even in the PWD roads if any advertisement is there than MCD is supposed to collect the money सिर्फ ईस्ट दिल्ली को देखें तो यूनी–पोल। हजारों यूनी–पोल हैं ईस्ट दिल्ली में। हजारों यूनी–पोल! कोई गिनती नहीं है। हर रोज एक और खड़ा हो जाता है यूनी–पोल, और ये कहते हैं कि साल की मात्र 12 करोड़ रूपये की इनकम एडवर्टाइजमैन्ट से इनके पास आती है। एक यूनी–पोल हम सभी जानते होगें कि कम से कम पचास साठ हजार रूपये की एम.सी.डी. को सर ज्यादा जो जाती है, वो एडवर्टाइजमैन्ट वाले को जाती है, एमसीडी को पचास हजार साठ हजार और किसी किसी लोकेशन में लाख रूपये तक जाती है। लाख– लाख रूपये डेढ–डेढ लाख तक जाती है तो हजारों बोर्ड किस हिसाब से? सिर्फ बारह करोड़ रूपये! महीने का एक करोड़ रूपये। जहां कि मंथली एवरेज के उपर कुछ एक हजार बोर्डो की। ये तो सबको समझ में आता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता को भी समझ में आता होगा, उनकी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष साहब को भी आता होगा, एल.जी. साहब को भी आता होगा, मोदी साहब को भी आता होगा समझ में कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। उसको रोका क्यों नहीं जाता? नहीं रोका जाता तो उसकी दो वजह हैं या तो आप इन्कम्पीटैण्ट हो या उन भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए हो। उस भ्रष्टाचार में आप भी सम्मिलित हो और अगर आप सम्मिलित हो तो आप इस लायक नहीं हो

कि आप जनता के प्रतिनिधि हो। अभी तक मैंने यूनी–पोल की बात करी है। भाई! अभी तक मैंने यूनी–पोल की बात करी है जो स्ट्रीट लाइटस के पोल्स हैं ना और उनके उपर जो एडवर्टाइडमैन्ट होता है, उसको छुआ भी नहीं है। आप सोच लीजिये कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है और ये शो करते हैं कि हम लोगों के पास तो फंड ही नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं रहा। अरे! पैसा इसलिये नहीं रहा कि तुम लोगों ने सिर्फ अपनी जेबों को भरने की कोशिश करी है। कभी सरकारी खजाने को भरने की कोशिश नहीं करी। अगर करी होती तो सरकारी खजाना इतना खोखला कभी नहीं हो सकता। सरकारी तंत्र इतना टूटा फूटा कभी नहीं हो सकता कि एक फोर्थ ग्रेड एम्प्लाइ की आप सैलरी नहीं दे पाते! जिसके पास भ्रष्टाचार करने का भी मौका नहीं है और दो और तीन महीने के बाद में अगर नहीं मिलता तो अभी कुछ दिन पहले ही एक केस हुआ था उसे दो महीने से सैलरी नहीं मिली थी, बेचारे ने आत्महत्या कर ली। आप सब ने पढा होगा। भ्रष्टाचार सर, यहां तक भी सीमित नहीं है। इसके भी बहुत आगे जाते हैं।

सर, बहुत बड़ा स्कैम है एक पार्किंग का। पार्किंग के स्कैम में तो कई बार बहुत बड़े बडे प्रतिपक्ष के नेताओं के नाम आये है। नेता प्रतिपक्ष का नाम आया है पर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। परन्तु पार्किंग के स्कैम में सर, कहते हैं कि ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन साल भर में मात्र सात करोड़ रूपये कमाती है। जहां पर मेरा आफिस है, उसके आगे पी. डब्ल्यू.डी. की लैंड पर एक पार्किग है। उस पार्किंग के 12 लाख रूपये साल के हिसाब से उस पार्किग वाले ने लिये हैं और उस पार्किग से वो कम से कम 90 लाख रूपये साल के कमाता है। मेरी उससे बात हो चुकी है।

वो सबसे छोटी पार्किंग है लक्ष्मी नगर की। बाकी छह पार्किग और हैं जो उससे बहुत बड़ी बड़ी हैं। 4800 मीटर तक की पार्किंग है सर, काफी बड़ी पार्किंग हैं। तो मुझे लगता है सात करोड़ से ज्यादा तो पार्किंग में कमाने का पोटेन्शियल तो केवल लक्ष्मीनगर में है। एन.डी.एम.सी. में तो बहुत सारी पार्किंग हैं। मतलब आप पार्किंग बनाते हो और आप जानते हो आप सिर्फ अपने लोगों को पार्किंग देते हो। आफिशियली पार्किंग के पैसे कम लेते हो, अनाधिकृत पार्किंग ज्यादा कराते हो और आप फिर कहते हो कि हमारे पास फंड नहीं है। दिल्ली सरकार हमको और फंड दे। आप पूरी जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हो। आपने 800 रूपये की पार्किंग को बढाकर दो हजार रूपये की पार्किग महीने की करवा दी। आप लोगों को नोचना चाहते हो, उनका खून पीना चाहते हो। ये किस तरीके का बार – बार सर। बार बार आप जिस भी बात को उठायेंगे, ऐसा कोई काम नहीं है एम.सी.डी. में जिसमें भ्रष्टाचार नजर नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय, हम सारे के सारे जानते हैं वसूली भाई! एम.सी.डी. का कोई काउन्सलर ऐसा नहीं है जो वसूली भाई के नाम से ना जाना जाता हो। जो अपने क्षेत्र में हर फ्लोर के उपर पैसे ना खाता हो। पचास गज का फ्लोर बनेगा तो पचास हजार रूपये फ्लोर के लूंगा, 100 गज का बनेगा तो लाख रूपये लूंगा और 200 गज का बनेगा तो दो लाख रूपये फ्लोर के लूंगा। इससे कम नहीं लूंगा। चाहे मेरे रिश्तेदार ही क्यों ना हों। ये हालत है फ्लोरस पर पैसे कमाने की। नक्शे पास नहीं करवाना चाहते। नक्शे पास करवाने में तो सरकारी पैसा सरकार के पास जायेगा। हम पर क्या आयेगा? हमने जो पच्चीस– तीस–पचास लाख रूपये– एक करोड़ रुपए टिकट खरीदने से लेकर इलेक्शन लड़ने तक लोगों को शराब पिलाने तक में खर्च

किया है, वो वसूलेंगें कैसे? और हमें तो तनख्वाह भी नहीं मिलती! आपको पता है? पाषर्दो को तनख्वाह नहीं मिलती! आज तक कोई रेजल्यूशन ऐसा आया है कि पाषर्दो की तनख्वाह मिलनी चाहिये या उनको जो पैसा मिलता है, इतनी जन सेवा जो वो करते है उसके लिये एक रूपया भी लड़ना चाहिये हम लोग तो लड़ रहे हैं मर रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बढा दो। हम लोग इतने में खर्च नहीं चला पा रहे। उन्हें तो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती दो ढाई तीन हजार रूपये की रिएम्बर्समैन्ट में आ जाते हैं। तो वो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आते होंगे, आते होगें। नहीं आते होंगे, नहीं आते होगें। हॉ, ऑडी जैसी बड़ी गाड़ी बड़ी, गाड़ी सब पार्षद पर ही है। सर, एक जो बात और समझ में आती है बल्कि एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा सर, कल का ये न्यूजपेपर है सर, टाइम्स ऑफ इण्डिया इसका दूसरा पेज है –। corporation shame two flyover that crawls एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जो फ्लाई ओवर ढाई सौ करोड़ का बनना है, उसे डेढ सौ करोड़ में बनाती है जो साढ़े तीन सौ करोड का बनना है, उसे ढ़ाई सौ करोड़ में बनवाया उन्होंने। जो जिस समय में बनना था, उससे दो महीने – तीन महीने पहले बनवा दिया इन्होंने! और एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं पूरे देश में ही नही, दिल्ली का पूरी दुनिया में। और दूसरी तरफ इसी दिल्ली में ये कारपोरेशन है जो तीन साल में बनने थे फलाई ओवर, अब सात साल हो चुके हैं 60% भी कम्पलीट नहीं हुए हैं। अभी कह रहे हैं कि निगम के चुनाव से पहले कर देंगे। कैसे कर देगें? अव्वल तो तुम उसे कर नहीं सकते। अगर कर सकते हो तो वो

चालीस पर्सेंट कवर तो साठ पर्सेंट जो पिछले सात साल में किया तो क्या जनता को तुम बेवकूफ बना रहे थे ? सर, 177 करोड़ रूपये का फ्लाई ओवर आलरेडी उसमें 85 करोड़ रूपये और जोड़े जा चुके हैं। ये विडंबना नहीं है तो और क्या है? एक सरकार दिल्ली में ईमानदारी के नाम पर और ईमानदारी के चलते सौ सौ करोड़ रूपये एक एक फ्लाई ओवर में बचा रही है और उस पैसे को जनता की भलाई में इस्तेमाल कर रही है। वहीं दिल्ली में ही एक कोरपोरेशन वो ऐसी है कि फ्लाई ओवर के नाम पर जनता के पैसों को लूट रही है। पूरे अखबार में ये छपा हुआ है, पूरे पेज का आर्टिकल है सर। तब भी जूं नहीं रेंग रही।

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी, कन्कलूड कीजिये प्लीज।

श्री नितिन त्यागी : सर, कन्कलूड तो करूं परन्तु मैंने आपसे कहा था सर, इसमें लिस्ट इतनी लंबी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं बहुत लंबी है लेकिन नितिन जी।

श्री नितिन त्यागी : सर, दिल्ली सरकार ने इतने काम नहीं किये।

अध्यक्ष महोदय : वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। सबको बोलना है

श्री नितिन त्यागी : मैं बस कम्पलीट कर रहा हूं सर। और आलम आज की तारीख में करप्शन का ये हो गया है कि अब क्योंकि बचा नहीं

जा सकता तो एक दूसरे पर आरोप आने लगे। एक योगेन्द्र चंदोलिया जी हैं। वो आरोप लगाते हैं रविंद्र गुप्ता जी पर। रविंद्र गुप्ता जी सतीश उपाध्याय पर लेटेस्ट आरोप लगा है शोभा विजेन्द्र गुप्ता जी पर। ये पेन्शन के भी पैसे खाते हैं। फोर्थ ग्रेड एप्लाईज के भी ये लोग पैसे खाते हैं। सिर्फ शेम! शेम! कहने से सच में कुछ नहीं होता। हम लोगों को सब को समझना पडेगा कि हम लोगों को क्या इस तरीके की कार्पोरेशन चाहिये या इस कॉर्पोरेशन में कुछ मेजर चेंजेज आने चाहिये? आप लोगों का म्युटेशन भी कराने जाओगे तो पांच हजार रूपये लगते होगें म्युटेशन के। जब बीस हजार खिड़की पर खड़े आदमी को दे के आने पड़ेंगें। उसको आन लाईन करने को तैयार नहीं हैं 70 करोड़ की वेब साईट बनाने वाले। ये तीन एम.सी.डी. हैं सर। हमारे यहां पर दिल्ली के अंदर तीनों बीजेपी शासित हैं, केन्द्र में बीजेपी का शासन है पर केन्द्र की मोदी सरकार यह जानती है कि ये तीनों भ्रष्ट एम.सी.डी. इस लायक नहीं हैं कि दिल्ली के अंदर स्मार्ट सिटी का कोई भी कन्सेप्ट लाया जा सके। सारे हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटी बंट रही हैं। हमारी दिल्ली में स्मार्ट सिटी इनमें से कोई नहीं ले के आ पाया। या तो अविश्वास है इन लोगों के ऊपर इतना विश्वास है कि तुम्हारे रहते तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तुम्हें चेंज हो जाने दो फिर कर लूंगा। अरविंद केजरीवाल के लोग आ जाएंगे कॉर्पोरेशन में फिर दे दूंगा स्मार्ट सिटी। हो सकता है मोदी जी को इन पर भी भरोसा ना हो। सर, स्मार्ट सिटी आप लोग मानिए मैं बार–बार स्मार्ट सिटी शब्द आप लोगों के दिमाग में डालना चाहता हूं, बहुत जरूरी है दिल्ली की प्रगति के लिए। हम सबको भी मांग करनी चाहिए। इनके मांगने से कभी नहीं मिलेगी। इन पर इनके लोग ही

नहीं विश्वास करते। इनकी पार्टी में खुद किसी सीनियर लीडर से बात करेंगे तो एम.सी.डी. के नाम पर वे भी नाक–भौंह–मुंह सिकोड़ लेते है तो Therefore, Sir, since the working of MCD affects the health and well being of every citizen of Delhi, it is imparative that the House take up this matter and there should be a discussion. Thank you, Sir.

अध्यक्ष महोदयः भावना गौड़।

मेरी प्रार्थना है थोड़ा संक्षेप में रखेंगे, मेरे पास बहुत नाम है, वक्ता बहुत हैं। सभी उस पर बोलना चाहते है, अभी नहीं, अलका जी, प्लीज।

सुश्री अलका लांबाः नितिन जी के बाद मेरा ही नाम है सर, भावना जी का नहीं।

अध्यक्ष महोदयः चलिए कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा।

सुश्री भावना गौड़ः शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार को लेकर के यहां विधान सभा में बैठे सभी लोग चिंतित हैं और एक कार्यक्रम आज दोपहर 2.00 बजे से रामलीला ग्राउंड के अंदर हो रहा है, तीनों नगर निगम के मेयर, उनके कमिश्नर, उनके अधिकारी जून की इस तपती हुई गर्मी के अंदर एक ज्वाइंट हाउस करने का प्रयास कर रहे है। मुझे समझ में नहीं आया सिविक सेंटर अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह है। जब तीनों नगर निगम, इकट्ठा केवल एक ही नगर निगम होता था, उस समय उसकी मीटिंग वहीं पर सिविक सेंटर के अंदर होती थी। लेकिन आज क्या कारण है, रामलीला ग्राउंड तक पहुंच

गए? लंबे–लंबे टेंट लगे हैं वहां, सफेद–सफेद लिबास के अंदर कुर्सियां बिछी हैं वहां, लंबे–लंबे चौड़े–चौड़े कूलर वहां पर लगे हैं, खाने की व्यवस्था वहां की गई है। एक तरफ नगर निगम के लोग पेन्शन देने के लिए पैसा नहीं है, इस तरह की बात रखते हैं। कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह उनके पास में नहीं है और मुझे ये समझ में नहीं आता जब उनको विशेष तौर पर दिल्ली के तीनों नगर निगम के मेयर को इन्वाइट किया गया तो क्यों नहीं इस सदन में आकर के उनकी जवाबदेही तय हो? बल्कि दक्षिणी दिल्ली के सदन के नेता सुभाष आर्य जी ने इस तरह का आरोप लगाया कि हम केवल नगर निगम के साथ में एक ओछी राजनीति कर रहे है। आज ये राजनीति रामलीला ग्राउंड में बैठकर वो लोग कर रहे हैं या नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे को हम लोग यहां इस सदन के माध्यम से चिंतन कर रहे हैं? मेरी तो दरखास्त है उन लोगों को ये सोचना चाहिए, वो इतना पैसा कहां से आएगा? ये तनख्वाह उनकी पेन्शन में क्यों नहीं दिया गया? ये पैसा लोगों की तनख्वाहों के माध्यम से क्यों नहीं बांटा गया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक नागरिक किसी न किसी तरीके से दिल्ली नगर निगम के क्रिया–कलापों के साथ में जुड़ा हुआ रहता है क्योंकि दिल्ली नगर निगम मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को देने का कार्य करता है लेकिन ऐसा महसूस ही नहीं होता बल्कि ये आंकड़े भी बताते है और इस बात की गवाही देते हैं कि दिल्ली नगर निगम के अंदर बैठे हुए पार्षद, वहां बैठे मेयर, उनके अधिकारी, बुनियादी कर्तव्यों को पूरा करने में बुरी तरह से विफल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार का ग्राफ बहुत ऊंचा है और ये मेरे अपने शब्द नहीं है, आर.टी.आई. पेटीशन लगाने वाले कार्यकर्ताओं को जवाब मिले और उससे ये बात सिद्ध होती है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और डी.डी.ए. इनके अंदर जितने भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, उससे कही दस गुणा ज्यादा भ्रष्टाचार के मुद्दे दिल्ली नगर निगम के अंदर व्याप्त है। अध्यक्ष महोदय, पता चला है कि दिल्ली नगर निगम में काम करने वाले प्यून से लेकर जे.ई. और उनके बड़े अधिकारी जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं, ऐसे दिल्ली नगर निगम के अंदर लगभग 3400 की संख्या में मामले अभी पैंडिंग पड़े हुए हैं, उनके केसिज पैंडिंग है और दिल्ली नगर निगम, मुझे तो लगता है कि खुद ही आपस में ही लड़ता रहता है। पच्चहतर परसेंट ऐसे आरोपी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो दिल्ली नगर निगम के अधिकारी हैं, वो दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हैं और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, सन 1997 के अंदर मुझे नगर निगम का पार्षद बनने का मौका मिला और उस समय लोग कहते थे ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आफ दिल्ली नहीं है, ये महा करप्ट डिर्पाटमेंट है और वहां से निकलने के बाद में और आज जिस तरह की रूपरेखा दिल्ली नगर निगम की नजर आती है तो स्वाभाविक तौर पर अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहने में कि एम.सी.डी. अपने आप में महा करप्ट डिर्पाटमेंट बन चुका है।

अध्यक्ष महोदय, 21 सिंतबर, 2015 को दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली नगर निगम के एक निलंबित अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में सजा सुनाई है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा सर्वे नहीं है, एम.सी.डी. ने सर्वे करवाया है और एम.सी.डी. के सर्वे के अनुसार अवैध और कमजोर मामलों में जो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है, वो उत्तरी नगर निगम का है और वहां 144 इमारतों को खतरनाक घोषित किया गया हैं लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक बात ये है कि इन बिल्डिंगों की जांच करने का अधिकार जिसको सौंपा गया है, वो स्वयं में, अपने आप दागी अधिकारी हैं, वो क्या रिजल्ट आपको निकालकर देंगे?

अध्यक्ष महोदय, पार्किंग के साइजिज को लीजिए। आपके ध्यान में होगा। इस सदन के मध्य पहले भी मैंने इस मुद्दे को उठाया। एक भूरे लाल कमेटी करके बनाई गई थी और भूरे लाल कमेटी ने क्लियर शब्दों में कहा था कि दिल्ली के अंदर 8 जोन है, 8 जोन की पार्किंग के साईज को नापिए और ये आदेश मुझे नहीं लगता कि दिल्ली नगर निगम के किसी अधिकारी ने आज तक उस आदेश का पालन किया हो। अध्यक्ष महोदय, सीधा–सीधा दिल्ली नगर निगम के अंदर, मैं भारतीय जनता पार्टी को घोटालों की प्रजनन भूमि अगर कहूं तो अपने आप में अतिशयोक्ति नहीं है। दिल्ली नगर निगम में 22,853 फर्जी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया गया, 22,853 फर्जी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जिससे सीधा–सीधा हमें वित्तीय नुकसान हुआ, वो कम से कम सौ करोड़ रूपए का हुआ।

अध्यक्ष महोदय, एक तो भ्रष्टाचार के मुद्दे मैं रखूंगी इस सदन के पटल पर और मुझे लगता है ये एक दो बातें शायद हमारे सदन के साथी भी

इस तरह के घोटालों से या इस तरह के भ्रष्टाचार से आप सब का भी परिचय नहीं हुआ होगा।

अध्यक्ष महोदय, एक एंटीसेपेटरी एप्रूवल होती है दिल्ली नगर निगम के अंदर, जिसको हम हिंदी में अग्रिम स्वीकृति कहते है। कोई भी केस जब दिल्ली नगर निगम के पास में आता है तो उसका एक प्रोसीजर है, स्टैण्डिंग कमेटी में जाएगा, हाउस में जाएगा। उसकी एप्रूवल मिलेगी। वो पास होगा और फिर लोगों के बीच में आएगा। लेकिन कोई भी काम वो ना तो स्टैण्डिंग कमेटी में गया, वो ना मेयर के पास, ना स्टैण्डिंग कमेटी में गया, ना हाउस में गया लेकिन ये आज से नहीं हो रहा, बरसों से चला आ रहा है। ये शायद मेरे समय में भी होता था, जब मैं नगर निगम की सदस्या थी। उस समय भी हर काम के लिए एंटीसेपेटरी एप्रूवल, अग्रिम स्वीकृति हो जाती थी उस पर और ये धंधा आज तक चला आ रहा है। आप नगर निगम का एक्ट उठाकर के देखिए। उस एक्ट के अंदर एंटीसेपेटरी एप्रूवल का कोई भी एक्ट बना ही नहीं है तो जब वो एक्ट ही नहीं है तो बरसों–बरसों से ये एंटीसेपेटरी एप्रूवल क्या मिलती है? ये अग्रिम स्वीकृति क्या होती है? इसकी परिभाषा मुझे लगता है कि निगम के अधिकारी ज्यादा अच्छी तरीके से दे पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक और मैं मुद्दा रखूंगी सदन के सामने, हमारे यहां पर जैसे अभी हमारे भाई बता रहे थे यूनी–पोल लगाने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड दिल्ली के अंदर चला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम का खजाना भरने में विज्ञापन विभाग की अपने आप में अहम भूमिका होती है।

इस विभाग की ओर से विज्ञापन के होर्डिंग लगाने के लिए सड़क के किनारे यूनी–पोल का टेंडर किया जाता है और खास बात ये है कि यूनी–पोल के टेंडर की अवधि खत्म होने से पहले दस प्रतिशत उसकी फीस को बढ़ाकर के और उस टेंडर का विस्तार कर दिया जाता है। किस लिए? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? जब एक अधिकारी को ये मालूम है कि यूनी–पोल की इसके टेंडर की अवधि खत्म होने वाली है तो एक पूरा दिल्ली नगर निगम के अंदर एक एक्ट है, उस एक्ट के प्रावधान को वो अपने समक्ष रखते हुए, उसका पुनः उसको टेंडर लगाना चाहिए लेकिन केवल दस प्रतिशत फीस को बढ़ाकर के उस यूनी–पोल का, उस विज्ञापन का, उस होर्डिंग का विस्तार कर दिया जाता है जबकि मार्केट में उस यूनी–पोल की कीमत कम से कम दो गुणा हो गई होती है।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे कर्मचारी लगे हैं, बहुत सारे गार्ड दिल्ली नगर निगम के अंदर काम कर रहे हैं और एक बार नहीं बल्कि कई बार ये किया गया है कि कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए, कंपनियों ने नगर निगम के एक कर्मचारी जिसकी तनख्वाह दस हजार से लेकर पंद्रह हजार तक तय होती है, वो कर्मचारी सात हजार या आठ हजार रूपए की तनख्वाह पाता है और इनके टेंडर रिटेंडर करने की बजाय इनको एप्रूवल दी जाती है जो केवल अंदर ही अंदर मेयर, स्टैण्डिंग कमेटी के चेयरमैन और वो अधिकारी मिलकर के इस काम को करते है जो सीधा–सीधा भ्रष्टाचार का अपने आप में एक सूचक है ...व्यवधान

अध्यक्ष महोदयः भावना जी कन्क्लूड करें प्लीज।

सुश्री भावना गौड़: सर, बस दो–तीन प्वाइंट और हैं...व्यवधान

अध्यक्ष महोदयः जरा कन्क्लूड करें, जल्दी प्लीज।

सुश्री भावना गौड़: अध्यक्ष महोदय, एड–हॉक एप्रूवल होती है दिल्ली नगर निगम के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगी कि डी.पी.सी. की बैठक दिल्ली नगर निगम में आज तक नहीं हुई और डी.पी.सी. के अंदर जो छोटे लैवल के कर्मचारी होते हैं, उनकी एप्रूवल का प्रावधान होता है। एक्ट के अनुसार दिल्ली नगर निगम के एक्ट के अनुसार किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को केवल एक बार एड–हॉक प्रमोशन दी जा सकती है लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली नगर निगम के अंदर डी.पी.सी. की मीटिंग कभी भी, उसका प्रावधान नहीं किया गया, उसको अरेंज नहीं किया गया और इसके साथ–साथ में अनेक बड़े अधिकारी हैं ऐसे हैं जिन्हें एड–हॉक आधार पर तीन–तीन बार प्रमोशन दिया गया है। ये भी अपने आप में एक भ्रष्टाचार का सूचक है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही एक और बड़ा इंर्पोटेंट विषय है। मैं जानती हूं सर, आप कान खुजाने लग गए है। मुझे कहेंगे कि अब जल्दी से बैठ जाइए लेकिन दो मिनट तो आपको सुननी पड़ेगी मेरी बात।

भा.ज.पा. लगातार समरसता और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है। उसके शासन वाली उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्रेस और सूचना निदेशालय में इन दोनों मामलों की खिल्ली उड़ाई जा रही है। निदेशालय ने करीब चार साल पहले छः प्रचार सहायक भर्ती करने के लिए डी.एस. बी.बी. से आग्रह किया था मगर इस दौरान निदेशालय के निदेशक वाई. एस.

मान ने अपने रिश्तेदारों की भर्ती करने के लिए रोस्टर का पालन नहीं किया। रोस्टर के अनुसार छः पद में से तीन पद सामान्य, दो पद ओ.बी.सी. के और उसमें से एक पद एस.सी. का होना चाहिए लेकिन निदेशक ने डी. एस.बी.बी. के पांच सामान्य और एक ओ.बी.सी. के पद का रोस्टर भेजा। इसके अलावा निदेशालयों में महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, ये सब मुझे लगता है कि सारे पार्षदों को और अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और लूंगी आपका। अब ये तो मैंने घोटालों की बात की, भ्रष्टाचार की बात की। अब मैं दिल्ली नगर निगम के अंदर एक महा भ्रष्टाचार की बात करूंगी। मैं स्वयं पालम विधान सभा से विधायक हूं। मेरे अपने वार्ड के अंदर वो पार्षद मुझे कहना नहीं चाहिए, शायद गलत इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं लेकिन जिनके पास खाने के लिए दाने नहीं थे, जो सब्जी की आढ़त लगाते थे, आज मुझे लगता है कि अरबों और खरबों पति वो बन गए है। कहां से आ गया इतना पैसा? मैं दिल्ली में पैदा हुई। मेरे पिताजी ने बड़ी ईमानदारी से कमाया लेकिन आज सर छुपाने के लिए सिर्फ एक मकान है और बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लायक बना दिया, समाज में खड़े होने के लायक उन्होंने बनाया है। हमारे यहां एक पार्षद है जिनका नाम पवन राठी है वार्ड न. 148 से। पेन्शन को लेकर के उस व्यक्ति ने जिनता बड़ा घोटाला किया है, मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली में इतना बड़ा घोटाला कहीं नहीं होगा! अध्यक्ष महोदय, बीजेपी का मंडल अध्यक्ष के परिवार के 11 लोग पेन्शन ले रहे हैं आज के समय में। कूड़े का खत्ता जो नगर निगम का कूड़े का खत्ता है, उसके एड्रेस पर एक व्यक्ति पेन्शन ले रहा है। एक बामडोली, एक गांव का नाम है

जो मटियाला विधान सभा के अंदर आता है, उस मटियाला विधान सभा में रहने वाला व्यक्ति पालम विधान सभा से पेन्शन ले रहा है। पार्षद का एक कार्यालय है मधु विहार में। अध्यक्ष महोदय, उसके एड्रेस के पर प्रभाकांत मिश्रा नाम का व्यक्ति जो उसके दफ्तर में पानी पिलाने का काम करता है, 42 साल जिसकी उम्र है, वो व्यक्ति वृद्धावस्था की पेन्शन दिल्ली नगर निगम से ले रहा है, जिसके ऊपर साईन हैं हमारे पार्षद महोदय के। सरकारी नौकरी करने वाला अजमेर सिंह, उसकी पत्नी निराश्रित कोटे से पेन्शन ले रही है नगर निगम से, उसका बेटा अजमेर सिंह का बेटा सोनू और मनोज जो करोड़पति हैं जिनके पास घोड़ा और गाड़ी सब कुछ हैं, उसके बावजूद वो दिल्ली नगर निगम से पेन्शन ले रहा है...व्यवधान

अध्यक्ष महोदयः भावना जी, अब कन्क्लूड़ करिए, प्लीज।

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, देखिए एम.सी.डी. के अंदर एक राजन गूर्जर करके कर्मचारी काम करता है, एम.सी.डी. का कर्मचारी है, उसकी पत्नी निराश्रित की पेन्शन ले रही है, इस तरह के ना जाने कितने सारे केस हैं जो अपने आपमें भ्रष्टाचार का एक प्रमाण है और अध्यक्ष महोदय, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी हमारे पार्षद महोदय ने जब चुनाव आयोग में आई.टी.आर. जमा करवाई, चुनाव आयोग को शपथ पत्र दिया, तो उसमें लिखा कि वो एडवोकेट हैं, लेकिन उनके बच्चे द्वारका के बाल भारती स्कूल और सचदेवा ग्लोबल स्कूल के अंदर ई.डब्लू.एस. का सर्टिफिकेट बनाकर के पढ़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता या तो अगर वो चुनाव आयोग को प्रमाण पत्र सही दे रहा है तो ई.डब्लू.एस. का सर्टिफिकेट कहां से बन

गया? बच्चों के दाखिले कहां से हो गए? और अगर वो सच में इतना गरीब है कि अपने बच्चों को ई.डब्लू.एस. के कोटे से पढ़ाता है तो चुनाव आयोग को ये जानकारी उसने गलत क्यों दी है? ये अपने आप में सीधा–सीधा भ्रष्टाचार का मामला है अध्यक्ष महोदय।

भा.ज.पा. ने अपने एम.सी.डी. के चुनावी प्रमाण पत्र में कहा था कि स्थानीय वार्ड समितियों का गठन करेंगे, जो आज तक नहीं हुआ। रिक्शा चालकों और घरेलू कामकाज करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा कार्ड देंगे। आज तक नहीं दिए गए। टाउन वैंडिग कमेटी बनाएंगे। अभी मैंने 280 के अंदर ये बात रखी थी। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार भी, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि वैंडर्स जो जहां बैठे थे, उनको वहां बिठाया जाए, उनको रोजगार दिया जाए लेकिन आज तक एम.सी.डी. ने हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भावना जी, रिपीटेशन हो रहा है, कन्क्लूड करिए प्लीज।

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से केवल इतना ही संदेश देना चाहूंगी कि बेहतर है कि ये लाखों रूपए खर्च करके, कराड़ों रूपए खर्च करके दिल्ली नगर निगम में बैठे हुए अधिकारी, उनके मेयर, उनके पार्षद वो केवल अपने ही कामों की समीक्षा कर लें, तो बहुत होगा। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री जरनैल सिंह जी (राजौरी गार्डन)।

श्री देवेन्द्र सिंह सहरावतः अध्यक्ष जी, मेरी रिकवेस्ट है ये जो फ्लाईओवर है ब्रिजवासन का, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में है तो इस पर जो ब्लैक एंड ह्वाइट डेमोस्ट्रेशन है, एम.सी.डी. ने जो गलत किया और उसको कैसे सुधारा हमने, उसके लिए बोलने के लिए मुझे दो मिनट अगर आप देंगे मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मेरा नाम लिस्टिड नहीं है...व्यवधान

अध्यक्ष महोदयः आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल भी चर्चा होनी है। आ जाएगा मैं नोट कर रहा हूं।

श्री देवेन्द्र सिंह सहरावत : ठीक है जी। थैक्यू।

अध्यक्ष महोदयः जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)

श्री जरनैल सिंह (रा. गा.)**:** अध्यक्ष महोदय आपने, मुझे बोलने का वक्त दिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और इसमें ये बहुत दुख भरी स्थिति है जिस स्थिति में मैं ये सवाल उठाने जा रहा हूं एम.सी.डी. का हमारे एक नव–निर्वाचित पार्षद राकेश कुमार जो ओल्ड दिल्ली से निर्वाचित हुए हैं, रामलीला मैदान में उनके साथ मारपीट की गई है, पार्षदों द्वारा मारपीट की गई है, इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है मैं चाहता हूं कि सारा सदन इसकी निंदा करे और ये गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अरविंद जी यहां पर मौजूद हैं। एक चेतावनी इनको दी जानी चाहिए। ये लोग भागने वाले हैं। एक आर्डर किया जाए इनके सभी रिकार्डस सीज किए जाएं। ये अपना भ्रष्टाचार जान गए हैं कि आम आदमी पार्टी आने वाली

है अगले 6–7 महीने के अंदर ये अपना भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश करेंगे, इनके सारे आर्डर सीज किये जाने चाहिए और इसके साथ–साथ जितने भी पार्षद हैं इनके पिछले 15 साल की सम्पत्ति का, जैसे कि अभी भावना जी ने बताया, इसकी भी एक जांच होनी चाहिए की पिछले 15 साल पहले इनके पास क्या सम्पत्ति थी और पांच साल पहले क्या सम्पत्ति थी और आज इनके पास क्या सम्पत्ति है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे बड़ा दुख है।

...(व्यवधान)

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, आप वीडियो देखिए, उसमें साफ दिखाई दे रहा है, कौन मार रहा है, कौन पीट रहा है। मुझे तो लगता नहीं कि सदन इसके अंदर कोई संज्ञान नहीं लेगा तो एम.सी.डी. इसमें कुछ करने वाली है...(व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बाः इसलिए नहीं पीटा गया अध्यक्ष महोदय, कि वो आम आदमी पार्टी का पार्षद है, इसलिए भी पीटा गया कि क्योंकि वो दलित है, क्योंकि भा.ज.पा. रोहित वैमूला की बात हो या देश भर में दलित समाज के लिए जिस तरीके से हथियार अपना रही है, हथकंडे अपना रही है, मारपीट कर रही है, ये पहला उदाहरण नहीं है इससे पहले भी बहुत से उदाहरण है, मुझे लगता है कि बिल्कुल दलित विरोधी एक्ट के तहत इसमें एफ.आई. आर. दर्ज होकर सख्त से सख्त कार्रवाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी नगर निगम की सीटें रिजर्व हैं, लेकिन इस तरह के अगर हथकंडे अपनाएं जाएंगे तो आप सोच लीजिए आगे आने वाले चुनाव में किस तरीके से ये हिंसा का रूप ये ले सकते हैं।

श्री जरनैल सिंह (रा. गा.): इसमें एफ.आई.आर. होनी चाहिए तुरंत के तुरंत। इसमें देखना चाहिए कि इसमें एफ.आई.आर. दर्ज की गई है कि नहीं की गई है। सभी भाजपा के पार्षद जो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, उनके नाम उसमें आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः बैठिए करते हैं इस विषय पर बात।

श्री राजेश गुप्ताः ये तीन हैं, इनको हम पूरा सम्मान देते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री ने इनको विपक्ष के नेता का पद दे दिया और हम वहां पर पांच हैं तो हमारे साथ ये काम किया जा रहा है, एक दलित भाई को इस तरीके से पीटा जा रहा है और मैं कह रहा हूं उसमें साक्ष्य की जरूरत ही नहीं है, कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। आपके सामने विडियो है, आप विडियो में देखिए। एक आदमी चुपचाप बैठा है, पांच गुंडे आकर उसको मार रहे है, खींच के उसको पीट रहे है, और ये वीडियो, मैं चाहूंगा आप जरूर देखें और उसके बाद आप यहां पर जल्दी से जल्दी इसमें कुछ करें।

अध्यक्ष महोदयः मैं देखता हूं इसको, कुछ करते हैं इसमें। बैठिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके इसमें विचार करता हूं, क्या करना है।

श्री जरनैल सिंह (रा. गा.) : सदन को स्थगित करके हम लोग इस पर चर्चा करके फिर हम लोग आगे सदन को चलाना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदयः जरनैल सिंह को अपनी बात खत्म करने दें। फिर इस पर चर्चा कर लेंगे। सोमनाथ जी, अलका जी, मेरा यह कहना है एक

बार जरनैल जी अपनी बात पूरी कर लें फिर इस विषय पर चर्चा करवा लेते हैं।

सुश्री अलका लाम्बा : भा.ज.पा. का व्यवहार निंदनीय है और इसका हम सब कड़ा विरोध करते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं।

अध्यक्ष महोदयः अलका जी, मैंने स्वीकार कर लिया 15 मिनट सदन, अलका जी मेरी बात तो सुनिए।

सुश्री अलका लाम्बाः जब श्री सुरेंद्र कमांडो को फंसाया गया था एस. सी. एक्ट के तहत गिरफ्तार भी कर लिया गया था आज कहां है वो कानून?

अध्यक्ष महोदयः अलका जी, दो मिनट बैठिए प्लीज।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, मोदी सरकार दलित विरोधी है। पूरा भारत इस बात को जानता है। मई, 2014 से, जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार होते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः राखी जी, बैठिए।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष महोदय, आज देश की राजधानी में हमारे समाज के एक चुने हुए पार्षद के साथ अगर ऐसा होता है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और सिर्फ एक दलित बेटी होने के नाते ही मेरा सवाल नहीं है, मेरे जितने साथी हैं, क्यों नहीं इस बात को एक जुट होकर इस सदन पर रखते हैं कि आप इसके खिलाफ सख्त से सख्त आदेश पारित करें।

अध्यक्ष महोदयः राखी जी, दो मिनट बैठिए प्लीज, अभी जरनैल सिंह शुरू करेंगे फिर उसके बाद मैं सभी को समय देता हूं। बैठिए प्लीज। राखी जी बैठिए। जगदीप जी आप शुरू करिए इस विषय पर।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, इस पर चर्चा होनी चाहिए, बीजेपी की गुंडागर्दी, एल.जी. के माध्यम से रोड़ा अटकाया जाता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए प्लीज, जरनैल जी, दो मिनट बैठिए।

अध्यक्ष महोदयः राखी जी, मैंने स्वीकार किया, आप सुन ही नहीं रही बात को, जरनैल जी दो मिनट बैठिए प्लीज। जगदीप जी, आप बोलिए दो मिनट के लिए इस विषय पर। क्या विषय है?

श्री जगदीप सिंहः अध्यक्ष जी, यह बहुत दुखद बात है, जिस तरीके से ये भाजपा।

अध्यक्ष महोदयः नाम क्या है पार्षद का?

श्री जगदीप सिंहः जिस पार्षद के ऊपर हाथ उठाया गया उसका नाम राकेश कुमार है...।

अध्यक्ष महोदयः वार्ड नम्बर?

श्री जगदीप सिंहः वार्ड न. 82 पुरानी दिल्ली से हैं ये। गलत हुआ है ये और मेरा निवेदन है कि बड़ी दुखद बात है। इस पर सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित करके इस पर बात करनी चाहिए, इसका किस तरह

का विरोध करना चाहिए, किस तरीके से हमें आगे चलना है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के लोग, इस तरीके से हमारे लोगों के साथ करेंगे, ये चीज डायजेस्ट नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। चाहे हमें देश के राष्ट्रपति से मिलना पड़े, प्रधानमंत्री से मिलना पड़े, होम मिनिस्टर से मिलना पड़े, सबके पास जाएंगे लेकिन इस तरीके से नहीं होने देंगे।

श्री राजेश गुप्ताः वे एक दलित पार्षद है। उनको वहां पर कुछ गुंडे इकट्ठा होकर मार रहे हैं, हमारे तुम्हारे की बात ही नहीं है इसके अंदर।

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि सदन को एडजोर्न किया जाए, मैं 15 मिनट के लिए हाउस एडजोर्न कर रहा हूं, इस घटना को लेकर, जगदीप जी आप मिलिए, आप आ जाइये अंदर।

(सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गयी)

सदन अपराह्न 5.40 बजे पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय : अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जो अभी चर्चा हुई, इसके विषय में एक मोशन पास करने के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जो इस मोशन के पक्ष में हैं वो हाँ कहें,

जो विरोध में वो ना कहें,

(सदस्यों के हॉ कहने पर)

प्रस्ताव पारित हुआ।

अजय दत्त जी, मोशन प्रस्तुत करें।

श्री अजय दत्त : Honourable Speaker, Sir, with the permission of the the House, I present the following motion:

"This House condemns in strongest possible terms the attack made on Shri Rakesh Kumar, Councillor of ward No.82 of North MCD which falls under Matia Mahal assembly Constituency. The attack was made on Shri Rakesh Kumar, a Dalit Councillor, who went to attend the meeting of MCD at Ram Leela Maidan today by the leaders and the activists of BJP without any provocation. This House directs the Commissioner of Police to take strict possible action against perperators of this attack on Shri Rakesh Kumar and proceed under provision of SC/ST Act, IPC and all other possible laws.

This House further directs that all the assaulters including the Councillors who are clearly visible in the videos be arrested immediately. "

Sir, we request you to please take as strong action as possible so that any other Dalit or any public representative should not be attacked and hit by any party or anybody. So, we request you to please take as strong action as possible. Thank you, Sir.

अध्यक्ष महोदय : राखी बिड़ला जी।

सुश्री राखी बिड़ला : धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत ही दुःखद और अमानवीय घटना पर आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, यह दलित विरोधी बीजेपी सरकार है। 26 मई, 2014 से जब से केन्द्र में बी.जे.पी. की सत्ता आई है, आये दिन हम लोग देखते हैं देश के किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी हिस्से में आये दिन दलितों पर कोई न कोई अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अगर मैं केरल की बात करूँ, अभी मैं 30 मई को केरल में गई थी। केरल में एक पढ़ी–लिखी, होनहार हमारी दलित समाज की वकील बेटी जो एल. एल.बी. कर रही थी, प्रैक्टिस पर थी, उसके साथ गैंग रेप होता है और जिस प्रकार से यहां पर निर्भया के साथ घटना हुई थी, उसी प्रकार केरल के अंदर जिशा के साथ होती है और पुलिस कुछ नहीं करती। एक महीने तक एफ.आई.आर. तक लॉज नहीं होती है। सारे के सारे सबूतों को मिटा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ नेताओं के कहने पर। जब आम आदमी पार्टी के लोग वहां जाते हैं प्रोटेस्ट करते हैं, तब कहीं जाकर पुलिस के कानों पर जूं रेंगती है और तब एफ.आई.आर. जैसी छोटी सी क्वेरी को पूरा किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ केरल की घटना नहीं, 2015 की अगर मैं बात करूं तो गोहाना में एक दलित समाज का नाबालिक बच्चा, जो सिर्फ 14 साल का था, उसे पुलिस कस्टडी में पीट–पीट कर मार दिया जाता है। गोहाना हरियाणा का एक हिस्सा है और हरियाणा में बी.जे.पी. की सरकार है। फरीदाबाद में पुनः दबंगों द्वारा एक दलित के परिवार को आग के हवाले कर दिया जाता है और दो छोटे–छोटे मासूम बच्चे जिसमें एक तीन साल

का बच्चा और एक साढ़े चार साल का बच्चा जिंदा जल कर मर जाते हैं। तब भी केंद्र सरकार के कान पर कोई जूं नहीं रेंगती। इसके बाद अगर हम यू.पी. के दनकौर का जिक्र करें, तो दनकौर जैसे इलाके में यू.पी. की पुलिस ने सरेआम, सरे बाजार दलित समाज की दो लड़कियों के कपड़े फाड़े। उन्हें इस तरह से शर्मिंदा करा कि उन्होंने आत्महत्या की कोशिश करी, लेकिन समाज के कुछ लोग जाकर उनसे मिले और उनको समझाया। सिर्फ यही नहीं, रोहित वेमुला का केस देख लीजिए। रोहित वेमुला का केस इस देश का सबसे हाई प्रोफाइल केस है। कौन था रोहित वेमुला, एक पी.एच.डी. स्टूडेंट था। अम्बेडकर साहब का जो सिद्धांत था, उसे अपनी यूनिवर्सिटी के प्रचार–प्रसार में लगा हुआ था। किस प्रकार से वहां के मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर और अन्य लोगों ने उनको किस प्रकार से प्रताड़ित करा कि वो लड़का स्यूसाइड करने को मजबूर हुआ। यह तो चंद वो केस हैं, अध्यक्ष जी, जो हैडलाइन्स बने समाचार पत्रों की, न्यूजपेपर्स की, लेकिन इसके अलावा ऐसी कई घटनाएं रोज देश के अंदर किसी न किसी हिस्से में होती है जहाँ पर दलितों को जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा है 2014 के बाद से। वैसे तो इस देश के अंदर दलितों को हाशिये पर रखा गया है, जब लोग आगे बढ़ते हैं, तब उन पर अत्याचार होता है। वो किसी चीज के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, ताजा–ताजा घटना आज की है। आज रामलीला मैदान के अंदर जिस प्रकार से बी.जे.पी. शासित तीनों एम.सी.डी. ने एक ज्वाइंट सेशन बुलाया था। उसके अंदर एक दलित ने जब यह आवाज उठाई कि किस प्रकार से एम.सी.डी. भ्रष्टाचार कर रही है और वो आम आदमी पार्टी के ऊपर ट्रांसफर कर

रही है। आम आदमी पार्टी की नीतियों को फेल कर रही है। दलितों को जो तनख्वाह नहीं दी जा रही, उसके खिलाफ जब उस दलित लड़के ने आवाज उठाई तो वहां के दबंगों ने उसके साथ जिस तरह की मारपीट करी है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इस सदन के माध्यम से यह बात कहना चाहती हूँ कि रोहित की बात, रोहित एक स्टूडेंट था, केरल में जिशा की बात, वो भी एक, स्टूडेंट थी। एक नाबालिग बच्चा था गोहाना का और यूपी के दनकौर में वो महिलायें घरेलू थीं, लेकिन आज जो राकेश के साथ हुआ, वो चुना हुआ प्रतिनिधि है, जनता ने उसे वोट देकर निगम में भेजा था ताकि वो निगम में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सके। बी.जे.पी. और कांग्रेस की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठा सके। जनता के लिए और दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठा सके, लेकिन आज जब उसने अपनी आवाज बुलंद करी, तो वहां बैठे बी.जे.पी. और कांग्रेस के लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि किस प्रकार से इस देश का दलित दिल्ली की राजधानी में अपनी आवाज को बुलंद करता है, किस प्रकार से इस देश का दलित अपनी बात को मंच पर रखने की कोशिश करता है, हिम्मत जुटाता है और लगे उसे मारने के लिए। अध्यक्ष जी, इस सदन के माध्यम से मेरे तमाम साथी इस बात की सहमति जतायेंगे कि आप क्योंकि आप हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे कर्ताधर्ता हैं और इस सदन की गरिमा आपसे हैं। आप माननीय राष्ट्रपति साहब से टाइम लीजिए और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे तमाम साथी चलेंगे और इसके खिलाफ जो गुंडागर्दी देश भर के अंदर हो रही है दलितों के ऊपर, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये, ऐसा हम अपना पत्र राष्ट्रपति महोदय जी देंगे,

लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ क्योंकि आज अजय दत्त जी ने जो मोशन पेश किया है, मैं उसका समर्थन करती हूँ और वीडियो में जितने भी लोग राकेश के ऊपर हाथ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया जाए, ऐसा आप यहाँ से सी.पी. साहब को लिख कर भेजें, मेरी आपसे प्रार्थना है। यह एक ऐसा देश है जहाँ पर दलितों की संख्या बहुत है। आज केन्द्र में जो मादी सरकार बैठी है...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज कन्क्लूड कीजिए।

सुश्री राखी बिड़ला: और निगम में भी जो नेतागण बैठे हैं, शायद वे लोग भूल गये हैं कि जब ये अपनी कुर्सी पर आते हैं, अपने पद को जब यह ग्रहण करते हैं तो उसी संविधान की कसम खा कर अपने पद पर आसीन होते हैं, जिसे देश के एक दलित ने लिखा था, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। यह उस संविधान की कसम खा कर अपनी कुर्सी को, अपने पद को ग्रहण करते हैं और उसी संविधान की अवमानना करते हुए इस प्रकार से दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी, पुनः मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने ज्वलंत मुद्दे पर बोलने का मौका दिया लेकिन आपसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी आप राष्ट्रपति महोदय से टाइम लें और यहाँ से एक प्रस्ताव भेजें, ज्वाइंट सी.पी. को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि जो भी आरोपी वीडियो में नजर आ रहे हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाये। अगर ऐसा नहीं होता है तो देश का दलित, दिल्ली

का दलित सड़कों पर उतरेगा और ईंट से ईंट बजाई जायेगी बी.जे.पी. की, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे इस अत्याचार के खिलाफ। जो आज हुआ है उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : राजेन्द्र गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : धन्यवाद अध्यक्ष जी, बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं बेहद दु:ख महसूस कर रहा हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ कि ऐसा कौन सा गुनाह किया हमारे समाज ने जो लगातार लगभग चार हजार साल तक सेवा का काम करने के बाद बड़ी मुश्किल से डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अथक प्रयास से हमें चार हजार साल की गुलामी से मुक्ति मिली। कानूनन तो हमें मुक्ति मिली, लेकिन क्या वास्तव में हम आज भी आज़ाद है? अगर एक सदन के अंदर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी बेरहमी से पीट सकते हैं तो आम आदमी का तो कहना ही क्या? आज मुझे याद आता है 1989 का वो दिन जब दलितों के मकानों पर कब्जे के विरोध में आवाज उठाने पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और चार साल तक लड़ने के बाद बरी हुए। आज से 14 साल पहले सीकर में पाँच दलितों की हत्या हुई राजस्थान के अंदर। राजस्थान, सीकर में पाँच दिन तक हमने धरना दिया। उस धरने की आवाज को दबाने के लिए हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दस साल तक मुकदमा लड़ने के बाद हम वहां से बरी हुए। मतलब जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना ही क्या जुर्म है? जो जुर्म के खिलाफ आवाज

उठाये, उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। मुझे एक नही, अनेकों केस याद हैं जिनके खिलाफ वर्षों से हम लड़ते आये हैं। चाहे हस्तिनापुर का कांड हो, जहां छह दलितों को काट दिया गया, चाहे झझ्झर का दुलिना कांड हो, जहां पांच दलितों को डी.एस.पी. नरेन्द्र कुमार के कब्जे से छीनकर उसकी आंखों के सामने मार दिया गया, चाहे खैरलांजी का कांड हो जहां उसके भाई के सामने, पिता के सामने बच्ची के साथ ब्लात्कार किया, उसके वक्ष काट दिये गये और पूरे परिवार को कत्ल कर दिया गया, चाहे ग्रेटर नोएडा का कांड हो, चाहे गोहाना कांड हो, चाहे मेहम का, चाहे तसंदूर का कांड हो हैदराबाद का, कितने कांड गिनवाउं? इतनी सारी घटनाएं लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक लगातार। आखिर इन्हीं के ऊपर ही क्यों गुजरता है ये सब? मैं बेहद दुखी मन से ये महसूस कर रहा हूं कि आज भी हम बेशक संविधान की दृष्टि से आजाद हों, लेकिन इस देश का दलित आज भी लगातार प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दलितों के घर पर खाना खाने का नाटक करते हैं, कांग्रेस के युवराज दलित के घर रात को खाना खाते हैं, ठहरते हैं, आखिर ये इस तरह की नाटकबाजी किस लिए? जब आप दलित को इंसान ही नहीं समझते, जब उसके दुखदर्द को ही नहीं समझते, नाना प्रकार के उसके ऊपर अत्याचार करते है। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया हम लोगों ने? क्या हम इंसान नहीं ? आखिर ये हमले किस लिए? जिन्दा जला दिया जाता है, रेप कर दिये जाते हैं लेकिन कोई आवाज। जिस तरीके से बुलंद होनी चाहिए, वो देश में होती नहीं। क्या इस

जातिवाद को इस देश से खत्म नहीं कर देना चाहिए? अगर वास्तव में सच्चे बाबा साहब अंबेडकर जी के सच्चे सपनों का भारत बनाना चाहते हैं या जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनके सच्चे सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो हमें इस जातिवाद को जड़ से खत्म करना होगा वरना याद करो अब से दो हजार साल पहले हमारा देश अर्थव्यवस्था में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर था। आज हम किस जगह खड़े हैं? शायद इसका सबसे बड़ा कारण जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद इन नाना प्रकार के वादों ने हमारे देश को क्षत—विक्षत कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह की घटनाएं मैं समझता हूं केवल दलितों को ही नहीं, जो लोग भी इंसानियत पर भरोसा रखते हैं, उन्हें ऐसी घटनाओं की भ्रस्तना करनी चाहिए, मजबूती से इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए और मैं बिल्कुल सहमत हूं अपनी बहन राखी जी से, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रेजीडेंट साहब से टाइम लीजिए, हम सब लोग मिलकर वहां चलें और हम बताएं कि संविधान की रक्षा करना क्या भारत के राष्ट्रपति की, क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी नहीं? क्या इसी तरीके से अत्याचार होते रहेंगे? अगर इसी तरह अत्याचार होते रहे तो क्या हम अपने देश को एकजुट रख पाएंगे? ये नस्लवाद क्यों पैदा हो रहा है ? इसको रोकना होगा। हमें अपने देश को बचाना होगा। अध्यक्ष जी, इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त करने के लिए अब इस देश का दलित कतई तैयार नहीं है। किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश हमारे सपनों का भारत है, हम इस देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना चाहते हैं लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, सवर्ण लोग हमारे दलितों

पर हमला कर रहे हैं। लेकिन देखने में ये भी आ रहा है कि जो मानवतावादी लोग हैं, जो विकासवादी लोग हैं, सवर्णों में भी बहुत लोग हैं, जो मानवता को पसंद करते हैं वो लोग दलितों को बचाने के लिए भी आगे आते हैं। तो मैं देश के ऐसे सब लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग इंसानियत में भरोसा रखते हैं वो सब लोग एक हो जाएं और जो इस देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हैं उन सबको सबक सिखाने का समय आ गया है। हम सबको इक्ट्ठा होना चाहिए।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने राकेश पर हमला किया है उन सबके खिलाफ 'एट्रोसिटीज एक्ट' के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चूंकि उनको पहले से पता था कि ये दलित है। किसी और के साथ ये घटना क्यों नहीं हुई? और भी तो काउंसिलर्स थे, स्पेशली राकेश कुमार के साथ क्यों हुआ? चूंकि वो जानते थे कि ये किस जाति से बिलांग करता है, ये दलित है और ये मानवता में भरोसा रखता है और आम आदमी पार्टी में उसकी आस्था है, क्या ये आस्था रखना गुनाह है। इस तरह की हरकत करके उन्होंने मानवता पर हमला किया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए and they should be punished ये प्रस्ताव आपके माध्यम से पास होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री मदनलाल जी।

श्री मदनलालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज बहुत दुख हुआ जब पता चला कि रामलीला मैदान मैं एक दलित को केवल इसलिए पीट दिया गया कि उसने उन उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने की हिमाकत की। संविधान बन जाने के बाद हमें ये गारंटी मिली की हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वो काउंसिलर था, उसके साथ बैठे काउंसिलर थे, सब पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव थे पर चूंकि वो मनुवादी विचारधारा के थे और उन्हें लग रहा था कि ये दलित हमारे बीच में बैठा हमसे अलग क्यों है? और इसकी हिमाकत क्यों है ? ये संविधान हमें गारंटी देता है एक्वेलिटी की और वो जिस पद पर बैठे हैं, वो लोगों को ये मैसेज देते हैं और लोगों को ये भरोसा जताते हैं कि वो समाज में सब वर्ग के लोगों के साथ बराबर का व्यवहार करेंगे और उस बराबर के व्यवहार में वो शामिल भी रहेंगे और उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो उस बराबरी के हक को छीनना चाहते हैं। जहां एक तरफ बी.जे.पी. के सभी उच्च नेता बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पर बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और लोगों को भरोसा दिला रहे थे कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो कांस्टीट्यूशन बनाया, वो उसकी इज्जत करते हैं और उन सभी लोगों को जो दलित हैं जिन्हें समानता का अधिकार उस कांस्टीट्यूशन में प्रदान किया गया, उसकी वो इज्जत करेंगे और मान–सम्मान करेंगे परन्तु उन्हीं की पार्टी के लोग उस संविधान की भाषा को दरकिनार रखते हुए एक काउंसिलर के साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट करते हैं और एक नहीं अगर आप उस वीडियो को देखें जो हमनें देखी है तो पता चलेगा कि उनको गुस्सा है, उनके मन में एक घृणा है जिसकी वजह से वो लगातार

उस काउंसिलर पर हमला कर रहे हैं। जय श्री राम कहते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है। मेरे घर में सारे जय श्री राम बोलने पर फख्र महसूस करते हैं। उन्हीं श्री राम ने जो भिलनी के बेर खाये, जो जूठे थे, जो दलित थे उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं को जय श्रीराम कहते हुए हर बार जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि मंदिर हमारे एजेण्डे में है, हम मंदिर जरूर बनाएंगे पर मंदिर क्या दलितों की छाती पर चढ़कर बनाओगे? उन्हीं दलितों को जिनको आप गारंटी की बात करते हो बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पर जब आप दुहाई देते हो कि हम सब भाई हैं। हम आपके साथ खाना खाएंगे, हम रात को आपके साथ बैठ कर भोजन करेंगे, हम बराबर बैठेंगे, बराबर की थाली में खाएंगे तब ऐसी क्यों मानसिकता है उन्हीं अनुयायियों की, उन्हीं के उन्हीं काउंसिलर्स की कि जो अपने बीच में बैठे एक दलित को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? ये शर्म और अशोभनीय बात है। ये ऐसी घटना है जिसकी अगर पुनरावृत्ति होती है तो लगातार समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी। हमारी छोटी बहन ने जो कहा, उसमें मुझे थोड़ी सी असहमति है। जो वो कहती हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे और अगर ऐसा हुआ तो बदला लेंगे ये बदला लेने की बात नहीं करनी चाहिए। आपकी भावना मैं समझता हूं मैं अपने दूसरे भाई राजेन्द्र जी की भावना मैं समझता हूं। मैं समझ सकता हूं कि उनमें कितना गुस्सा है, उनमें कितना दुख है, उनमें कितना क्षोभ है इस घटना के प्रति परन्तु हमें जो घृणा है, उसका जवाब घृणा से नहीं देना। हमें इस देश के कानून पर पूरा भरोसा है और इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं आपसे एक विनती जरूर करूंगा कि ये सदन

आपके माध्यम से एक स्ट्रांगेस्ट मैसेज सोसायटी को भी भेजे और पुलिस को भी भेजे और उन लोगों को भी भेजे जिन के अनुयायी जय श्री राम तो कहते हैं पर जय श्री राम की सीख, जो बुद्धि जो मैसेज उन्होंने दिया भिलनी के बेर खाके और जानते हैं लक्ष्मण जी नहीं खा रहे थे परंतु फिर भी भगवान ने खाये तो वो मैसेज जो है, वो मैसेज आज के दिन सबसे ज्यादा रेलेवेंट है और खास कर उन लोगों के लिये जो श्री राम के नाम की दुहाई देकर इस समाज को बांट रहे हैं चाहे वह हिंदु मुस्लिम में हों, चाहे वो दलित में हो, चाहे वो समाज के किसी और अंग में हों। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो ऐजेंसी लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने के लिए जिम्मेवार है, उनको इस सदन की तरफ से आपके माध्यम से बड़ा स्ट्रांगेस्ट मैसेज जाये और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये जो जनता को एक मैसेज भी दे और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने में मदद करे, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री श्री संदीप कुमार जी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्री संदीप कुमार) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, ये कोई नई बात नहीं है राखी बिड़ला जी ने भी बताया और भी साथियों ने बताया, ये अत्याचार तो सदियों से होते आ रहे हैं जैसा मदनलाल जी ने कहा श्री राम ने शबरी के बेर खाये, वाल्मीकि भगवान के आश्रम में माता सीता के दो पुत्रों का जन्म हुआ। ये सारी चीजे सबको मालूम हैं लड़ाई दलित की या जाति की नहीं है, सारी

चीजें ठीक हैं। करप्शन की भी बात होती है। मैं पैसे के करप्शन को इतना बडा करप्शन नहीं मानता जितना इस देश में कास्ट का करप्शन है। बाबा साहेब ने एक किताब लिखी 'एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट' उसमें साारी चीजें बताई गई हैं दुनिया में उस जैसी किताब नहीं है अगर आदमी ठीक से उसे पढ ले तो इंसान बन जाये। बाबा साहेब के साथ में इस देश में खूब अत्याचार हुआ है। यहां पर समस्या सबसे बड़ी ये है कि जब दलित किसी मनुवादी सोच के व्यक्ति की आंखों में आंखे डाल के बात करता है तो वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती इनको। इस देश को जब जरूरत पड़ी रामायण की, वाल्मीकी भगवान से लिखवा ली। जब जरूरत पड़ी महाभारत की, वेदव्यास से लिखवा ली। जब जरूरत पड़ी संविधान की तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से लिखवा ली और जब बात आती है अधिकारों की इस देश में सबसे ज्यादा संख्या में दलित पिछड़े हैं, देश का 85 प्रतिशत हैं लेकिन जब बात आती है अधिकार की जैसे कि अभी आपने देखा सी. एम. साहब के मार्ग दर्शन में हमने 14 अप्रैल का एक इवेंट सेलिब्रेट किया और उसमें जिस तरह सी.एम. साहब ने कहा कि भाई, जो मनुस्मृति है, वो देश का संविधान नहीं है और आर. एस. एस. संसद भवन नहीं है और मोदी जी जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं, वो लोग देश नहीं है। वो लोग देश तो तोड़ने का काम कर रहे हैं और डिप्टी सी.एम. साहब जब गये थे ऐजुकेशन के सेमिनार मे,ं वहां पर बी.जे.पी. के लोगों ने खुल के कहा था कि वीर सावरकर को पढायेगें, ठीक है, आपकी मंशा चाहे जो भी हो लेकिन इस देश में अगर सही में किसी व्यक्ति को पढाना चाहिये हमारे देश

के बच्चों में संस्कार अगर पैदा करने हैं तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पढाना पडेगा जो सी.एम. साहब ने वो लागू भी करवा दिया। मैं कतई इस बात से ताल्लुक नहीं रखता कि बाबा साहेब खाली दलितों के मसीहा थे। बाबा साहेब एक महा मानव थे इस सदी के, इस दुनिया के। इस धरती पर वह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खेत खलिहानों, पेड पौधों, जानवरों के लिये सबके लिये संविधान में एक प्रावधान रखा, आगे एक पेड़ अगर काटना पड़ जाये तो आप सबको पता है कि कितनी मशक्कत करनी पडती है और बाबा साहेब सूट बूट में इसलिये दिखते थे क्योंकि वो चाहते थे कि इस देश का दलित, पिछड़ा, मुसलमान, दबा कुचला आदमी इस तरह की पोशाक में नजर आये ताकि लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखें और कुछ लोग, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन भी किये। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी थी कि वह चाहते थे कि दलितों के तन पर कपड़ा भी ना दिखे। वो दलितों को वैसा ही चाहते हैं कि वह गरीब सा दिखे, मैले कुचैले कपडे पहने, बाल इधर उधर हों , उसके अजीब सा लगे ताकि दूर से पता चले कि दलित है। मैं बिल्कुल इस बात को कहने में कभी संकोच नहीं करता कि बाबा साहेब के बाद अगर दलितों की किसी ने लडाई लडी तो साहब काशीराम ने। उन्होंने खुल के दलितों के लिये लड़ाई के लिये एक आंदोलन चलाया और उनके बाद अगर इस मुहिम को कोई आगे बढा रहे हैं तो सबसे पहला तो आप देखिये कि ये जो आम आदमी पार्टी है इसका सिम्बल देखिये। आप अपने आप में किस तरह की चीज दर्शाता है कि इसकी बुनियादी सोच से जुड़ी हुई पार्टी है और मैं गारंटी से कहता हूं कि

अपने देश के किसी भी राज्य का कोई सी.एम. कह के दिखा दे जैसे हमारे सी.एम. साहब कहते हैं कि तुम सावरकर को पढाओ, हम अंबेडकर को पढायेगें। इनके मन में वो भावना है और ये गुस्सा दलित के प्रति तो था ही इस रामलीला मैदान में और कहीं ना कहीं ये गुस्सा अरविंद केजरी वाल के खिलाफ था जब उस व्यक्ति ने हमारे दलित भाई ने वो टोपी पहनी। मुझे चाहिये पूर्ण स्वराज, पूर्ण आजादी सभी लोग यही मांग रहे हैं कन्हैया क्या मांग रहा था जे.एन.यू. में ? ये सारे जब जब इस देश में इस तरह की बात सामने आयेगी कि राष्ट्र खतरे में है, हिंदु आज खतरे में है, फलाना खतरे में है, ढीकड़ा खतरे में है, उस समय खाली और खाली मनुवाद खतरे में होता है और उस तरह के लोग इस आंदोलन को दबाने के लिए तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। रोहित वैमूला जो बाबा साहेब के सपनों के भारत में जीना चाहता था स्कॉलर था, जो छोटे से परिवार से , दलित परिवार से आता था उसकी सांस्थानिक बिल्कुल वैल प्लान्ड मर्डर किया गया और उसे एक आत्महत्या का नाम दे दिया गया। रोज की रोज कहीं ना कही होते हैं हर रोज अत्याचार होते हैं। दिल्ली में हो, चाहे गोहाना का कांड हो, धनकौर का कांड हो कहीं भी चले जाओ आप और बाबा साहेब ने ये कहा था कि जा के अपनी घर की दीवारों पर लिख दो के 21वीं सदी में तुम इस देश के हुक्मरान बनोगे तो जब हम जैसे लोग चुन के आते हैं, ये विडंबना है, ठीक है सारी चीजें होती हैं लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता जो इस तरह की सोच के लोग हैं। मुसलमानों को दलितो को, पिछड़ों को आप घर में चाहे नानवेज बना लो, दाल

बना लो, उसमें जायके के लिये तेजपत्ता डालते हैं और जब खाते हैं तो उसको होठों से भी नहीं लगाते साईड में रख देते हैं तो दलित मुसलमान, पिछड़ा इस देश की राजनीति में तेजपत्ते का काम करता है और जब अधिकारों की बात आती है तो उठाकर के डस्टबीन में फेंक दिया जाता है तो इस तरह की राजनीति अब नहीं चलेगी क्योंकि अब इस तरह के लोग आ गये हैं पागल से जो आंदोलन से निकले थे पेंट कमीज वाले, परंपरागत कुर्ते पजामे वाले नहीं हैं, उस सोच के लोग नहीं हैं जो वाक्य में इस देश को बदलना चाहते हैं। फक्कड़ लोग सारे के सारे जितने भी सारे लोग यहां पर बैठे हैं। हमारी औकात नहीं थी पार्षद बनने की भी लेकिन एक आंदोलन उठा। उसके मसीहा अरविंद भाई ने सारी मुहिम जगाई और हम सारे लोग चुन के आये तो हम लोग खाली इंसानियत के लिए आये और मैं आप सब से भी अपील करूंगा और अरविंद भाई से मैं पुरजोर अपील करूंगा कि आप इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक्शन लें क्योंकि ये पंजाब में अगर आप देखो तो वहां पर रोज के रोज अत्याचार होते हैं दलितों पर। बहुत बड़ी संख्या में देश में तो हैं ही, पंजाब में सबसे ज्यादा संख्या में दलित हैं। अगर अरविंद जी जैसा कोई इनको रहनुमा इनका अगवा नहीं मिला तो मुझे नही लगता कि इस देश में दलितों का कुछ उत्थान होगा। ये रोज अत्याचार बढ़ेगे और हां हमें उम्मीद है कि अरविंद जी इन चीजों को बड़ी संवेदनशीलता से लेते है क्योंकि वो जो प्रोग्राम अबेंडकर साहब का किया, पूरे इतिहास में इस देश के पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने दलितों को, पिछड़ों को सब को एक निमंत्रण दिया कि भई

सारे आओ और बाबा साहब का जन्मदिन सैलीब्रेट करते है क्योंकि ये आधुनिक भारत के अगर निर्माता कोई है तो बाबा साहब भीम राव अंबेडकर है और जो इनकी, मैंने इनके चैम्बर में भी देखा है, अरविंद जी के चैम्बर में भी देखा है अंबेडकर साहब की किताबें बहुत सारी रखी हुई हैं और जब किताबें रखी हैं तो ये पढ़ते भी होंगे उनको और जिस आदमी ने अंबेडकर को पढ़ लिया उस आदमी में मिलावट कभी नहीं हो सकती क्योंकि वो इंसानियत के लिए काम करता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर के अपील है कि सारे के सारे इकट्ठे रहो और इंसानियत के लिए काम करो चाहे दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो अगर किसी के भी साथ अत्याचार होता है तो ये जो आम आदमी पार्टी और ये जो सिपाही हैं इस देश के हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, चाहे किसी हद तक जाना पड़े, चाहे किसी पर भी अत्याचार हो, इस तरह की अमानवीय घटना की भ्रत्सना करते है और इसके खिलाफ जमकर लड़ेगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। सीएम साहब की अगवाई में हम लोग सारे उस भाई के साथ है और बड़ा दुख हुआ ये घटना क्योंकि आजाद भारत में हम लोग सब आजाद हो गए लेकिन आज भी हमें घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, बैठकर खाना नहीं खिलाया जाता। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है अगर देखा जाए तो। हम लोग पढ़े लिखे हैं सारी तरह से संपन्न है बस लड़ाई है आंख में आंख डालकर बात करने की, वो लोगों को बर्दाश्त नहीं है। वो अब लडाई आप सबको लड़नी पड़ेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद और मैं चाहता हूं कि आप इस पर एकजुट होंगे, धन्यवाद।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरी रिकवेस्ट ये है कि एक परंपरा को मैं तोड़ना चाहूंगा आज कि अगर किसी दलित भाई के साथ में कुछ गलत हुआ है तो दलित ही बोलें। मैं चाहूंगा कि आप मुझे दो मिनट बोलने का मौका दे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सिर्फ दो मिनट बोलने दें।

अध्यक्ष महोदयः आप पहले बोल चुके थे। शुरूआत आप दोनों ने की थी।

श्री राजेश गुप्ताः नहीं, उस वक्त तो सिर्फ हमने आपको बताया कि क्या हुआ है। अगर आप दो मिनट बोलने का मौका दें।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, दो मिनट में समाप्त करिए।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, बहुत धन्यवाद आपने इस मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, कांसटीट्यूशन–डे पर मैं एक सभा में गया था। जो डायलॉग हो रहे थे वहां पर और एक बहुत बड़े लेखक थे उन्होंने कहा कि अगर आप इस देश में हिंदू हैं, सवर्ण हैं और पुरूष हैं तो आप ये नहीं समझ सकते कि संवेदनशीलता क्या होती है और मैंने यही उनसे कहा था कि ये सब समझने के लिए शायद सिर्फ संवेदनशीलता का ही होना जरूरी है और शायद किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि मैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं हूं।

अभी बात आई जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, हमने जब चुनाव भी लड़ा जो परंपरागत सीटें थी कि यहां तो इस कास्ट के लोग लड़ेंगे, सब

कुछ उल्टा–सीधा, कई सीटें ऐसी हैं, बस आदमी देखा, उसकी भावना देखी उसको टिकट दे दिया और वो जीतकर आया है और एक–दो वोटों से नहीं जीते, पचास–पचार हजार वोटों से जीते हुए हैं। ये पार्टी यहां पर जिसके तीन लोग हैं, ये यहां पर माईक तोड़ते हैं जब तीन हैं। हमारी एक बहन को ये अपषब्द बोलते हैं जबकि ये सिर्फ 3 हैं और हम 67 है हम फिर भी हाथ नहीं उठाते। वहां हमारे पांच थे उसमें से शायद सिर्फ एक ही आगे बैठा हो। वहां ये ज्यादा थे तब भी ये हाथ उठाएंगे। ये बात इस बात की नहीं है कि लोग कितने है, ये सिर्फ सोच की बात है कि किस तरीके से हम करते हैं। अमानतुल्लाह खान हमारा एक भाई है। उसको आतंकवादी कहते हैं लेकिन सवाल और जरूरत इस वक्त ये है कि आज ये न देखते हुए कि मैं पुरूष हूं कि सवर्ण हूं कि मैं हिंदू हूं। ये देखने की जरूरत है कि हमारी संवेदनशीलता कितनी है। अगर अमानतुल्लाह खान को कोई आतंकवादी कहता है तो सबसे पहले राजेश गुप्ता खड़ा होकर कह रहा था उस दिन और आज भी कहेगा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज किसी दलित भाई को अगर पीटा जाएगा तो फिर राजेश गुप्ता खड़ा होकर कहेगा कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात किसी जाति की नहीं है, किसी समाज की भी नहीं है, ये बात सिर्फ इस बात की है कि इंसान को इंसान समझा जाए और एक दूसरे को प्यार की नजरों से देखा जाए। इस पार्टी का, हमारी सरकार का यही उद्देश्य है। हम इस पर चलते रहेंगे। जो हुआ है, वो बहुत ही गलत हुआ है, मैं इसकी भ्रत्सना करता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। अब अजय दत्त जी का यह प्रस्ताव जिसका समर्थन सोमनाथ भारती जी ने किया, सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वो हां कहें;

जो इसके विरोध में है वो ना कहें;

(सदस्यों के हॉ कहने पर)

हां पक्ष जी, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब सदन कल 10 जून, 2016 दोपहर 2.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

(अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही 10 जून, 2016 को दोपहर 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)